राष्ट्रभाषा रचना

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा.

86

राष्ट्रभाषा रचना

* * *

भाग २

* * *

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति,
वर्धा

* * *

प्रकाशक :
शंकरराव लोंढे
मन्त्री,
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति,
हिन्दीनगर, वर्धा

* * *

[नवाँ संस्करण]
छठा पुनर्मुद्रण—८०००
मई, १९७८
मूल्य—१-७५

* * *

आकार : १/१६ डबल क्राउन
कागज : ५१ X ७६ सी. एम., ११.९ के. जी.
कव्हर : ५२ X ७७.५ सी. एम., २६.२ के. जी.
टाईप : १४ और १२ पाइन्ट मोनो

* * *

मुद्रक :
शंकरराव लोंढे
राष्ट्रभाषा प्रेस,
हिन्दीनगर, वर्धा

* * *

प्रकाशककी ओरसे

राष्ट्रभाषा पर विशेष अधिकार प्राप्त करनेके लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी निबन्ध-लेखन और रचनाकी ओर अधिक ध्यान दें।

'परिचय' परीक्षाके लिए एक ऐसी 'रचना' पुस्तककी आवश्यकता रही है, जो निर्धारित पाठ्यक्रम और मानदण्डकी दृष्टिसे 'परिचय' के परीक्षार्थियोंके लिए अनुकूल हो।

इसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिए 'राष्ट्रभाषा रचना, भाग–२ का निर्माण हुआ है।

इस संस्करणमें परीक्षार्थियोंकी सुविधाकी दृष्टिसे बातचीत, विराम-चिह्न, समानार्थक तथा विपरीतार्थक शब्द, अनुवाद, दैनिक व्यवहारके शब्द आदि अंश और जोड़ दिए गए हैं, जिससे परीक्षार्थी विशेष जानकारी प्राप्त कर सकें।

आशा है, इन परिवर्तनोंके साथ पुस्तकको परीक्षार्थी अधिक उपयोगी पाएँगे।

प्रस्तुत संस्करण पुस्तकके नवें संस्करणका छठा पुनर्मुद्रण है।

मन्त्री

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा

विषय-सूची

पृष्ठांक

१. निबन्धके विषयमें — १

२. वर्णनात्मक निबन्ध — ४

१. ऋतुराज बसन्त
२. ताजमहल
३. मधुमक्खी
४. कुम्भका मेला
५. हिन्दुस्तानी खेल

रूपरेखाएँ — २०

१. फूल
२. उद्यान
३. बरगद
४. दीपावली
५. शिमला
६. बाढ़
७. अग्निकांड

३. विवरणात्मक निबन्ध — २६

१. लोकमान्य बा. गं. तिलक
२. योगिराज अरविन्द
३. नेताजी सुभाषचंद्र बोस
४. मेरा एक स्वप्न
५. जीर्ण खद्दरकी आत्मकथा
६. समाचार-पत्र
७. बिजलीकी करामातें
८. गायकी आत्मकथा

पृष्ठांक

रूपरेखाएँ — ५२

१. अशोक
२. रवीन्द्रनाथ ठाकुर
३. गांधीजी
४. दूसरा विश्वयुद्ध
५. विज्ञानके आविष्कार

४. बातचीत — ६८

हीरा और कोयला

५. पत्र-लेखन — ७२

पत्रोंके नमूने — ७८

१. पिताके नाम
२. ग्राहक छात्रके नाम
३. मित्रका पत्रोत्तर
४. सहेलीको पत्र
५. निमन्त्रण-पत्र
६. खुली चिट्ठी
७. इस्तीफा
८. सम्पादकको पत्र
९. अभिवादन-पत्र

६. शुद्धाशुद्ध — ९१

विराम-चिह्न

७. समानार्थक तथा विपरीतार्थक शब्द — ९३

८. अनुवाद — ९६

९. दैनिक व्यवहारके शब्द — ९९

१.

निबन्धके विषयमें

निबन्धका अर्थ :–किसी भी विषयपर अपने विचारों या जानकारीको साधकर लिखना 'निबन्ध' कहलाता है। एक ही विषयपर भिन्न-भिन्न व्यक्ति अपनी रुचि, समझ और जानकारीके अनुसार भिन्न-भिन्न रूपसे लिखेंगे।

निबन्धका उद्‌देश :—निबन्धका मुख्य उद्देश्य अपने मनकी बात दूसरोंसे कहना है। मनकी बातको ठीक-ठीक प्रकट करनेके लिए बड़े अभ्यासकी आवश्यकता होती है। अपने अनुभवोंको लोगों तक पहुँचाना एक बड़ी सेवा है। हर आदमीको इसका अभ्यास करना चाहिए।

निबन्ध, जीवनका प्रतिबिम्ब :—कठिन-से-कठिन विषयको भी सीधी, सरल, सुबोध और मनोहारिणी भाषामें कह सकनेके लिए न केवल लिखते रहनेकी, बल्कि सही और सच्चे ढंगसे जीवन-यापन करनेकी भी आवश्यकता है। उसी लेखककी भाषामें बल आ सकता है जिसके चरित्रमें बल हो। 'स्टाइल इज दि मैन' वाली अँग्रेजी सूक्ति इसी बातकी ओर इशारा करती है। अच्छा लेखक बननेके लिए अचछा आदमी बनना अनिवार्य है।

पूर्व तैयारी :—जब हम किसी विषयपर कुछ कहना चाहें तो हमें उस सम्बन्धका अपना ज्ञान तौल लेना चाहिए। अगर लगे कि कहने लायक कुछ हमें मालूम नहीं है तो उस विषयपर तत्काल ही कुछ कहने लगना या लिखने लगना ठीक नहीं है। विषयके

सम्बन्धमें आवश्यक ज्ञान, अनुभव, अपने कहनेका उद्देश्य आदि बातें सम्यक् विधिसे सोचकर लिखना प्रारम्भ करना चाहिए।

निबन्ध और लेखका भेद :—साधारणता 'निबन्ध' और 'लेख' शब्दोंका प्रयोग एक-दूसरेकी जगह किया जाता है, किन्तु दोनोंमें एक बडा भेद है। निबन्धमें लिखनेवाला प्रधान है और लेखमें विषय। इतिहास, भूगोल आदि ज्ञानवर्धक साहित्य निबन्धके अंतर्गत नहीं आता। निबन्ध ललित-साहित्यका अंग समझा जाता है।

निबन्ध-रचना छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े विषयपर हो सकती है। निबन्ध-रचनाका प्रधान उद्देश्य लेखकके व्यक्तित्वको प्रकट करना है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि विद्यार्थी निबन्ध नहीं, लेख लिखते हैं। यह पुस्तक विद्यार्थियोंके लिए है। इसलिए इसमें लेखके नमूने दिए गए हैं।

लेखमें किसी विषयपर, विषयसे सम्बन्धित अधिकांश मुद्दोंपर कुछ-न-कुछ कहा जाता है; अर्थात् विषयही उसमें प्रधान होता है। विद्यार्थियोंको रचना करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे लेखही लिख रहे हैं। व्यक्तित्वका ठीक-ठीक विकास हुए बिना निबन्ध-लेखन सम्भव नहीं है।

लेखके प्रकार:—मोटे तौरपर लेख तीन प्रकारके होते हैं—१. वर्णनात्मक, २. कथात्मक या विवरणात्मक, ३. व्याख्यात्मक या विचारात्मक। वर्णनात्मक लेखमें खेल-कूद, प्रकृति, उत्सव-त्यौहार, मेला, संस्थान, नगर, भवन आदि। विवरणात्मकमें कोई ऐतिहासिक या काल्पनिक घटना, किसी व्यक्तिकी जीवनी, प्राणीका वर्णन आदि तथा व्याख्यात्मक या विवेचनात्मक लेखोंमें विचारों और भावोंका प्रकटीकरण होता है, जिनमें लेखकको हृदय

और बुद्धि-दोनोंका सामंजस्य सम्हालना आवश्यक है। केवल तर्क-प्रधान या भाव-प्रधान लेखन विद्यार्थियोंके लिए नहीं है।

शैली :--प्रत्येक व्यक्तिके लिखनेका अपना ढंग होता है। लेखकके ज्ञान, भाव, कल्पना और जीवनके समूचे ढंगके सम्मिश्रणसे शैलीका जन्म होता है। इसलिए शैलीके विषयमें कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। विषय-प्रतिपादनकी दृष्टिसे लेख लिखते समय निम्नलिखित बातोंका ध्यान रखना चाहिए :—

१. विषयकी रूपरेखा सोच लो।
२. रूपरेखाके प्रत्येक अंगपर दो-चार प्रधान आशय लिख लो।
३. प्रत्येक आशयसे सम्बन्धित गौण आशय भी लिख लो।
४. प्रधान और गौण आशयोंका क्रम ठीक कर लो, ताकि लिखते समय विचार-क्रम सम्बद्ध हो।
५. सरल, संयत भाषामें रूपरेखाका विस्तार करो।
६. किसी आशयको व्यर्थ तूल मत दो। शब्दों, वाक्यों आदिमें अलंकारों, कहावतों, मुहावरों आदिका अनावश्यक उपयोग मत करो। एक आशय समाप्त होनेपर नया अनुच्छेद प्रारम्भ करो।
७. प्रत्येक आशयको उसके महत्वके अनुसार जगह दो। मामूली आशयपर कम और महत्वके आशयपर अधिक लिखो।
८. निबन्धका अन्त करते समय इस बातका पूरा ध्यान रखो कि निबन्ध अधूरा न लगे।

रूपरेखासे बहुत बँधना भी ठीक नहीं है। यदि लिखते-लिखते महत्वकी दूसरी बातें सूझ जाएँ तो उन्हें भी उचित स्थान दो।

२.

वर्णनात्मक निबन्ध

●

वर्णनात्मक लेखोंमें हम जो कुछ देखते या सुनते हैं उसका वर्णन होता है। अत: वर्णनात्मक लेख लिखनेके लिए ध्यानपूर्वक देखना-सुनना आवश्यक है। वर्णनको सजीव और स्पष्ट बनानेके लिए कभी-कभी कल्पनाका सहारा लेना पड़ता है, उपमादि अलंकारोंका प्रयोग भी आवश्यक हो जाता है; किन्तु वर्ण्य वस्तुके साथ इनका अनुपात सम्हाले रखना जरूरी बात है।

वर्णनात्मक निबन्धके लिए विद्वत्ताकी आवश्कता नहीं होती। उसके लिए अवलोकन, कल्पना और सहानुभूतिकी आवश्यकता है। वर्णनात्मक निबन्धोंमें प्राकृतिक और कृत्रिम वस्तुओंका वर्णन होता है।

प्राकृतिक वस्तुओंमें प्राकृतिक दृश्य—जैसे प्रातःकाल, चाँदनी, रात, नदी, पहाड़, जलप्रपात, ऋतुएँ; प्राकृतिक पदार्थ—जैसे सूर्य, तारे, नदियाँ, लोहा, सोना, मिट्टी; प्राणी—जैसे हाथी, शेर, कंगारू, मधुमक्खी; मनुष्यकी कौमें—जैसे गोंड़, संथाल, आर्य, मंगोल आदिका वर्णन होता है। मोटे तौरपर इनका वर्णन नीचे लिखी रूपरेखाके आधारपर किया जाता है :—

दृश्य :—१. प्रारम्भिक, २. दृश्यके समय धरती—आकाश—हवा आदिकी हालत, ३. प्राणियोंपर उनका असर, ४. अन्य विशेषताएँ व उल्लेखनीय बातें और ५. उपसंहार।

पदार्थ :—१. उत्पत्ति, २. स्वरूप-वर्णन, ३. विशेषताएँ, ४. उपयोग, ५. उपसंहार।

प्राणी :—१. वर्ग, २. उत्पत्ति-स्थान, ३. स्वरूप, ४. स्वभाव और आदतें, ५. उपयोग, ६. उपसंहार।

मनुष्य जातियाँ :—१. निवास, २. इतिहास, ३. भाषा–धर्म–शिल्प व धन्धा, ४, रीति-रिवाज, ५. अन्य उल्लेखनीय बातें और ६. उपसंहार।

आगे कुछ वर्णनात्मक लेख और कुछ वर्णनात्मक लेखोंकी रूपरेखाएँ दी जाती हैं।

१. ऋतुराज बसन्त

१. प्रस्तावना–भारतकी ऋतुएँ; उनमें बसन्तका स्थान।

२. बसन्तमें प्रकृतिका वर्णन।

३. बसन्तोत्सव।

४. उपसंहार।

कहा जाता है कि हमारे देशमें छह ऋतुएँ हैं। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमन्त और बसन्त। इन ऋतुओंमें हर एक दो-दो महीनेकी मानी गई है। मोटे तौरपर ग्रीष्म, वर्षा और शीत——तीन ही ऋतुएँ हैं। ग्रीष्मको दो हिस्सोंमें मानें तो बसन्त और ग्रीष्म, वर्षाको दो हिस्सोंमें मानें तो वर्षा और शरद तथा शीतको दो हिस्सोंमें मानें तो शिशिर और हेमन्त——ऐसी छह ऋतुएँ बन जाती हैं।

फागुन और चैत बसन्तके महीने हैं। बसन्तको भारतीय कवियोंने 'ऋतुराज' उपाधि दे रखी है। खेती ही जिस देशकी अधिकांश जनताका प्रधान धन्धा हो, वहाँ फसल पकानेवाले फागुन और फसल इकट्ठा करनेवाले चैतको ऋतुओंका राजा कहना ठीक ही है। फसलको जन्म देनेवाली वर्षा कदाचित् इस राजाकी रानी है! भारतवर्षमें वर्षा रानीकी-सी सुन्दरता बसन्त राजाको नसीब नहीं हुई है। भूमध्य-सागरीय जलवायुवाले स्थानोंमें अलबत्ता बसन्तका बड़ा मनोहर स्वरूप होता है। हमारे देशमें काश्मीर अपनी बहारके लिए प्रसिद्ध है। किन्तु कवियोंने तो देशभरमें बसन्तकी कल्पना करके उसके रूपकी प्रशंसाके ढेर लगा दिए हैं।

कहा जाता है कि बसन्तके आनेपर प्रकृतिका ठाठ ही बदल जाता है। पातहीन वृक्षोंमें कोमल किसलय फूट निकलते हैं और पत्तेवाली डालियाँ फूलोंसे लद जाती हैं। वनोंमें टेसू, सरोवरोंमें अरविन्द और नीलोत्पल, उपवनोंमें चम्पा और माधवी और मल्लिका, अनार, कचनार, कर्णिकार, कोरिदार, हरसिंगार, कुसुम-स्तवकोंसे भर जाते हैं। खेतोंमें सरसों फूलवती और अमराइयोंमें रसाल बोरवन्त हो जाते हैं। दक्षिण पवन शीतल और सुगन्धित होकर मन्द-मन्द वहने लगता है। कोयल कूकने लगती है, पपीहा 'पिउ-पिउ' की रट लगा देता है, भौंरे गूँजने लगते हैं, हंस कला-कंठ हो जाता है और कविका मन उन्मन!

सच पूछो तो एक साथ एक ही समयमें यह सब कुछ नहीं होता। न शुरू होकर एक समयमें ही इसका अन्त होता है। टेसू, रसाल और सरसों, जिनके सिर बसन्तागमका सेहरा बाँधा गया है, उसके आनेके पहले माघमें ही सजकर खड़े हो जाते हैं।

अनार, कचनार और कर्णिकार बसन्तागम तक खिलने लगते हैं, मगर जैसे आधे दिलसे ! माधवी और मल्लिकाको बसन्तके आगमनकी खबर देरसे लगती है और महुआ तो लम्बी अवधि तक अनसुनी लिए रहता है। कोयल, पपीहे और भौरे बसन्त और वर्षाका मानो भेद ही नहीं जानते, कोयलकी कूक और केकीकी काकली एक साथ किसीने नहीं सुनी ! इन सबसे तो बेचारा नीम ही अच्छा जो ऐन फागुनमें मंजरी देता है और वैशाखमें फल। नीमकी महकके झोंकोंसे सुगन्धित फागुन और चैतकी चाँदनी रातें तुम्हें जरूर याद होंगी। कविको तो याद हैं :—

न नीलोत्पल, न रक्त शतदल,
न सरसों पीत, न जुही धवल,
न चम्पा है, न माधवी है,
नीम वह सती-साधवी है—
सुना, फागुन आया खिल गई,
हवा डोली पृथ्वी हिल गई।

बसन्तागमके उपलक्षमें माघ शुक्ल पंचमीको बसन्तोत्सव और फागुनकी पूर्णिमाको होली मनाई जाती है। उस दिन देश-भरमें आनन्दकी लहर दौड़ जाती है। तब किरणका रंग पीला, सरसोंके फूलका रंग पीला, आमके बौरका रंग पीला; इसी तरह अरविन्द लाल, पलाश लाल, अशोक के गुच्छे भी लाल। कदाचित् वासन्ती प्रकृतिके इन प्रतीकोंसे अभेद स्थापित करनेकी आकांक्षामें हम उस दिन अपने कपड़े भी पीले रंग देते हैं और रंग-गुलालसे एक-दूसरेके गाल और भाल लाल रंग देते हैं। हँसी-दिल्लगी और गीत-गानसे वातावरण मुखरित कर देते हैं; मानो घोषणा करते हैं कि कोकिल, पपीहा और भौंरे भी हमारे आत्मीय हैं। प्रकृतिसे

अपनी भिन्नता, आत्मीयता और एकप्राणताकी ऐसी क्षणिक अनुभूति भी बड़ी उल्लासकर वस्तु है। भारतवर्ष भरमें ब्रज की होली, बंगाल का बसन्तोत्सव और काश्मीर का सौथ-त्यौहार प्रसिद्ध है।

२. ताजमहल

१. ताजमहल की स्थिति तथा बनानेका कारण।
२. ताजमहल का आकार-प्रकार।
३. ताजमहल के भीतर।
४. उपसंहार।

संसारकी सुन्दर इमारतोंमें ताजमहल अतुलनीय माना जाता है। संसारके प्रसिद्ध सप्ताश्चर्योंमें इसकी गिनती है। प्रसिद्ध मुगल-सम्राट् शाहजहाँ अपनी रूपवती बेगम मुमताजुन्निसा को बहुत प्यार करते थे। वह बहुत बीमार पड़ गई और उसे पुनः नीरोग करनेके सारे प्रयत्न विफल होनेपर एक दिन मुमताजुन्निसा ने शाहजहाँ से कहा कि तुम मेरे न रहनेपर मेरी कब्र ऐसी बनवाना कि दुनियाभरमें उससे बढ़कर कोई दूसरी इमारत न हो।

मुमताजुन्निसा की मृत्युके बाद स्नेही शाहजहाँ ने उसकी याद-गारमें जो अद्वितीय मकबरा बनवाया उसीका नाम ताजमहल है।

ताजमहल उत्तरप्रदेश के आगरा नगरमें यमुना के दाहिने किनारेपर बसा हुआ है। यह स्थान आगरा-फोर्ट स्टेशनसे लगभग दो मील पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल का नक्शा शाहजहाँ ने स्वप्नमें देखा था! इसी स्वप्नको सही करनेमें शाह-जहाँ ने एक तरहसे अपना सर्वस्व लगा दिया। वह रात-रातभर

जागकर इसकी चिन्ता करता था। बीस सहस्त्र कारीगरोंने लगातार बीस वर्ष तक इसमें परिश्रम किया है। करोड़ों रुपए इसके बनानेमें खर्च हुए। कहते हैं कि इसके बन चुकनेपर शाहजहाँ ने इसको बनानेवाले कारीगरोंके हाथ इस डरसे कटवा डाले थे कि फिर ऐसी सुन्दर इमारत संसारमे कहीं और न बनवाई जा सके। प्रेमी हृदयकी यह प्रतिक्रिया कैसी विचित्र और कठोर है! कहा जाता है कि अपने जीवनकालमें शाहजहाँ लाल किलेकी एक ऊँची बुर्जसे अपनी प्रियतमाकी इस अनोखी स्मृतिको निरन्तर देखता रहा और मृत्युके बाद उसकी कब्र भी ताजमहल में ही मुमताजुन्निसा की कब्रके पास बना दी गई। 'व्रजादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि!'

ताजमहल वर्णनातीत इमारत है। इसके एक ओर नदी और तीन ओर अनोखे सौन्दर्यशाली उद्यान हैं। प्रवेश-द्वार लाल पत्थरका है—जिसके ऊपर नौबत-खाना बना हुआ है। प्रवेश-द्वार स्वयं इतना सुन्दर है कि मन मुग्ध हो जाता है। प्रवेश द्वार हमको एक मैदानमें पहुँचाता है। मैदानसे ताजमहल के मुख्य द्वार तक एक साफ-सुथरा रास्ता है, जिसके दोनों ओर झाऊके ऊँचे पेड़ खड़े हैं। मैदानके छोरपर रास्तेके इर्द-गिर्द कतारमें कोठरियाँ बनी हैं, जिनमें कदाचित् रक्षक आदि रहा करते होंगे। रास्ता आगे चलकर जरा बाएँ घूमता है और हम ताजमहल के मुख्य द्वारपर पहुँच जाते हैं।

स्फटिकके इस विशाल द्वारपर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। यहाँ हम एक छोटे संग्रहालयको देख सकते हैं। इसमें मुगलकालीन बादशाहोंके चित्र, तीर-कमान आदि हाथियार और पात्र तथा ऐसी ही ऐतिहासिक सामग्री संग्रहीत है। यह द्वार हमें एक

सुन्दर उद्यानमें ले जाता है—जहाँके कटे-छँटे पंक्तिबद्ध पेड़, पौधे, फव्वारे, बहता पानी और तालाब थोड़ी देर ताज को देखनेकी उत्सुकताको भी जैसे मन्द कर देते हैं। इस उद्यानमें जहाँ-तहाँ संगमर्मरकी बेंचें पड़ी हैं।

सामने ही ताजमहल खड़ा है। संगमर्मरके चौकोर चबूतरेपर संगमर्मरका ताजमहल !

—नव मेघदूत
अपूर्व अद्भुत !—
छन्द गाने
उठिया छे अलक्षेर पाने !

ताजमहलके चारों कोनोंपर चार मीनारें और बीचमें विशाल गुम्बज है। यह गुम्बज २७५ फीट ऊँचा है। इसके आस-पास चार छोटे-छोटे गुम्बज और हैं। बड़े गुम्बजके नीचे शाहजहाँ और मुमताजुन्निसा की कब्रोंके नमूने हैं। कब्रें नीचे तहखानेमें हैं, जहाँ प्रकाश लेकर उतरना होता है। नमूनेकी कब्रोंसे असली कब्रें बहुत अधिक सुन्दर हैं। समाधियोंके चारों तरफ संगमर्मरका जालीदार घेरा है और समाधियोंपर बहुमूल्य पत्थरोंकी पच्चीकारी है। जाली, पच्चीकारी और बूटाकारीका यह काम शिल्प-संसारका आश्चर्य है। ताजमहल की दीवारोंपर भी चारों ओर बड़ी बारीक और कलापूर्ण पच्चीकारी की गई है, जिसे देखते ही बनता है।

मीनारमें ऊपर जानेके लिए चक्करदार सीढ़ियाँ हैं। मीनारोंपरसे चढ़कर देखनेपर ताज की ऊँचाईका अन्दाज लगता है। अनुपातकी खूबीके कारण धरातलपरसे ताज कोई बड़ी ऊँची इमारत नहीं लगती, किन्तु ऊपर चढ़नेपर ऐसा लगता है, मानों हम आधे आकाश तक पहुँच गए हों! बगीचेके पेड़-पौधे

गलीचेकी तरह बिछे हुए जान पड़ते हैं और उसमें चलते-फिरते रंग-बिरंगी पोशाकसे सज्जित जन-समूह ऐसे लगते हैं जैसे उस गलीचेपरके डिजाइन हों।

ताजमहल के सौन्दर्यकी छटा निश्चय ही वर्णनातीत है, किन्तु चाँदनी रातमें तो इस छटामें चार चाँद लग जाते हैं। इस छटाका आनंद उठानेके लिए शरद-पौर्णिमाको दर्शकोंके समूह-के-समूह वहाँ रातभर आते-जाते रहते हैं। ताजकी इस अनुपम छटासे प्रभावित होकर कितने ही कवियोंने कविताएँ, कहानीकारोंने कहानियाँ और लेखकोंने लेख लिखे हैं। कदाचित् संसारकी किसी अन्य इमारतको लेकर इतने साहित्यकी सृष्टि कहीं भी नहीं हुई।

ताजमहल को बने तीन सौ वर्षसे अधिक हो गए; किन्तु आज भी ऐसा लगता है कि वह अभी ही बनकर तैयार हुआ है।

३. मधुमक्खी

१. प्रस्तावना—परिचय।
२. मधुका स्रोत और संचय।
३. उपसंहार—मधुकी उपयोगिता।

मधुमक्खी एक अण्डज कीड़ा है। घरेलू मक्खीसे इसका आकार मिलता-जुलता होता है; किन्तु घरेलू मक्खी जितनी अव्यवस्थित, गन्दी और अवांछनीय चीज है, मधुमक्खी उतनी ही व्यवस्थित, स्वच्छ और उपयोगी। मधुमक्खी प्राय: सभी देशोंमें पाई जाती है, किन्तु स्पेन, भारत और मिस्रमें यह बहुतायतसे होती है। साधारणतया जिन देशोंमें बसन्त ऋतु जितनी अच्छी होती है, उन देशोंमें मधुमक्खी भी उसी परिमाणमें अधिक होती है।

फूलोंसे इनका सीधा सम्बन्ध है । फूलोंसे मधु इकट्ठा करते रहना इनकी मुख्य प्रवृत्ति है, क्योंकि वही इनका खाद्य है । अन्य कीड़ोंसे मधुमक्खीकी यह एक बड़ी विशेषता है कि वह व्यक्तिगत रूपसे अपने ही लिए खाद्य नहीं जुटाती । वे सामूहिक रूपसे काम करती हैं । सामूहिक रूपसे रहती हैं और दुर्दिनका मुकाबला भी सामूहिक रूपसे करती हैं । कहा जाता है कि इनका संगठन मनुष्य-समाजके संगठनसे अधिक सहज, विशेष स्वाभाविक और ज्यादा परिपूर्ण है ।

जिस प्रकार मनुष्य बस्तियाँ बनाता है । उसी प्रकार मधुमक्खियाँ भी बस्तियाँ बनाती हैं । इनकी बस्तियोंको 'मधुमक्खियोंका छत्ता' कहा जाता है । संस्कृतमें इसे 'मधुचक्र' कहते हैं । मधुचक्र छोटे भी होते हैं और बड़े भी । एक मधुचक्रमें हजारोंसे लेकर लाखों तककी बस्ती होती हैं । हर मधुचक्रमें एक रानी होती है और राजा भी, किन्तु राजा इस बस्तीका एकमात्र निकम्मा प्राणी होता है । वह कोई काम नहीं करता । रानी दिनभर अण्डे देती है और मधुचक्रपर शासन करती है । इसके अतिरिक्त सेवक-मक्खियाँ होती है जो मधु-संचय करती हैं, अण्डोंकी देखरेख करती हैं और छत्तेको बाहरी आक्रमणसे बचाती हैं । एक छत्तेकी मक्खी दूसरे छत्तेमें प्रवेश नहीं कर पातीं ।

मधुमक्खीके छत्तेकी बनावट बड़ी ढंगपूर्ण होती है । उनमें मोमके बने हुए छोटे-छोटे अनन्त कोठे होते हैं । इनमेंसे कुछ कोठरियोंमें निवास, कुछमें शुश्रूषा और कुछमें मधु-संचय किया जाता है । बसन्त और ग्रीष्ममें मक्खियाँ मधु-संचय करती हैं और वर्षा तथा शरदमें, जब फूल नहीं फूलते या मौसम अनुकूल नहीं हता, उस समय[संग्रहीत मधुका उपयोग करती हैं ।

आदमीने मधुमक्खियोंके परिश्रमसे इकट्ठे किए शहदके गुण जान लिए हैं और सभ्य देशोंके भोजनमें इसका चलन बढ़ता जा रहा है। दूध और माँसके लिए पशु-पालनकी तरह मधु-मक्खियोंका पालना भी शुरू हो गया है, जिससे मनुष्य अपने भोजनमें शहदका उचित अनुपातमें उपयोग कर सकेगा। हमारे देशमें अधिकतर शहद मक्खियोंके छत्ते जलाकर और मक्खियोंको भगाकर प्राप्त किया जाता है। गांधीजी ने पहली बार ग्रामोद्योगमें इसे शामिल करके देशका ध्यान इस ओर आकर्षित किया। मधुमक्खी बड़ी आसानीसे पाली जा सकती है। हर छत्तेमें केवल एक रानी मक्खीका होना आवश्यक होता है। जिस छत्तेकी रानी मक्खी उड़ जाती है, वह खाली हो जाता है, इसलिए मधुमक्खी पालने वाले रानी मक्खीकी तलाशमें रहते हैं। मधुमक्खी-पालनका धन्धा भारतवर्ष में बड़ी आसानीसे विकसित हो सकता है।

४. कुम्भका मेला

१. प्रारम्भिक।
२. कुम्भके मेलेका परिचय।
३. मेलेका वर्णन।
४. मेलेसे लाभ-हानि आदि।

मेला भारतवर्ष की एक विशेष संस्था है। मेले का इतना अधिक प्रचार संसारके किसी और देशमें नहीं है। हमारे देशमें जितने महत्वके स्थान हैं, वे सब मेलेके स्थान भी हैं। नदियोंके संगम, पहाड़ोंकी चोटियाँ, मैदानोंके फैलाव, नगरोंकी गोद—सब जगह मेले भरते हैं। कुम्भका मेला संसारका सबसे बड़ा मेला है।

कुम्भका मेला कबसे भरता आ रहा है, ठीक नहीं कहा जा सकता। कुछ विद्वान इसका प्रारम्भ पुराणोंके आधार पर त्रेता युगसे मानते हैं। रामायण और महाभारत में इसका उल्लेख है। छठी शताब्दीमें महाराज हर्षवर्धन प्रति वर्ष कुम्भके मेलेमें जाते थे और अपनी सम्पत्तिका दशांश इस मेलेमें दान किया करते थे, ऐसा इतिहासकारोंने लिखा है।

प्रयाग में गंगा और यमुना के संगमपर प्रति वर्ष माघमें संक्रान्तिके दिन मेला भरता है; किन्तु हर बारहवें वर्ष वहाँ जो मेला भरता है, उसे कुम्भका मेला कहते हैं। देशभरमें कुम्भ मेलेके चार स्थान हैं--प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रत्येक तीन वर्षके बादकी मकर-संक्रान्तिपर कुम्भका पर्व माना जाता है। इसलिए प्रयाग में कुम्भका मेला बारहवें वर्ष लगता है। इसी प्रकार अन्य स्थानोंमें भी होता है। इस मेलेमें भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्तके लोग सम्मिलित होते हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और व्यापारिक लेन-देनका यह अनोखा अवसर होता है। इस समय इसमें ५० से ६० लाख तक यात्री इकट्ठे होते हैं।

सबसे अधिक चर्चाकी चीज इन मेलोंमें आए हुए साधु होते हैं। विभिन्न सम्प्रदायवाले साधु हाथी-घोड़ोंपर बैठकर बड़ी सज-धजके साथ मेलेमें आते हैं। प्रत्येक साधु-मण्डलीकी एक परम्परा-गत प्रतिष्ठा है। संक्रान्तिके क्षणमें जिस जमातको पहली डुबकी लगानेका अधिकार मिलता है, वही सबसे अधिक प्रतिष्ठित जमात मानी जाती है। प्रतिष्ठाकी इस कल्पनाके कारण हर बार कुछ अघटित घटनाएँ हो जाती हैं। पहली डुबकी लगानेका अधिकार पानेके लिए साधुओंके दलमें लड़ाई तक हो जाती है। इस अवसरपर शासन बहुत सतर्क रहता है। पुलिस और फौजकी देखरेखमें साधुओंकी डुबकियाँ लगती हैं।

पण्डे अपने पृथक-पृथक् अड्डोंपर बैठे रहते हैं। विभिन्न ढंगके झण्डे लटकाए हुए वे यजमानोंकी राह देखते हैं। यजमानोंको लेकर कभी-कभी पण्डोंमें हाथापाई तक हो जाती है। तरह-तरहके वस्त्र, वर्तन, खिलौने आदि चीजोंकी दूकानें विभिन्न धर्मावलम्बियोंकी शास्त्रार्थ—सभाएँ, कल्पवासियोंकी झोपड़ियाँ, स्थान-स्थान पर देशकी परिस्थितिको लेकर व्याख्या-विवेचन, सिनेमा, नाटक, सरकस आदि कम्पनियोंके कार्य, भिखमँगोंकी भीड़, भीख माँगनेके अजीव-अजीव ढंग, बाल वनानेके लिए नाइयोंके बाड़े——सारांश यह कि आप जो जो सोच सकते हैं, वह सब कुम्भके मेलेमें हाजिर मिलता है। सरकार भी कृषि आदिकी जानकारी देनेके विचारसे तत्सम्बन्धी प्रदर्शनियाँ करती है।

प्राचीन कालमें जब आवागमन कठिन था, ऐसे उत्सवोंकी आवश्यकता थी जिनमें देशके हर कोनेसे धार्मिक, राजनैतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रोंके लोग इकट्ठे हों और देशके सब हिस्से आपसमें एक दूसरेके वैभवका, स्वभावका, आवश्यकताओंका परिचय पाएँ, लेन-देन करें। अखिल भारतवर्षीय मेलोंका यही उद्देश्य था। आसिन्धु हिमाचल हम एक हैं——इस भावनाकी ठीक-ठीक प्रतीति इन मेलोंकी एक बड़ी विशेषता थी। इनकी वैसी कोई उपयोगिता आज नहीं रह गई है। आवागमनकी नित्य बढ़ती हुई सुविधाएँ, अखबार, रेडियो, सिनेमा और पुस्तकें आदि प्रचारके साधन उन सब कामोंको अनायास ही कर सकते हैं। वास्तवमें अब तो मेला पाखण्ड, बीमारियों, अनीति और मिथ्याचरणके प्रचारकी सुविधाका नाम है। वैसे काँग्रेस-अधिवेशन आदि भी आधुनिक मेले हैं। बापू की मृत्युके बाद सर्वोदय-मेले भी भरने लगे हैं। यदि इन मेलोंमेंसे सब तरहके पैसा-कमाऊ

व्यापारोंको अलग कर दिया जाए और लोग केवल ज्ञानके लेन-देनेके लिए वहाँ इकट्ठे हों, तो उनकी आवश्यकता है। सर्वोदय-समाज ऐसे ही मेलोंकी कल्पना करता है।

५. हिन्दुस्तानी खेल

१. भूमिका—खेलकी आवश्यकता।
२. कुछ हिन्दुस्तानी खेल।
३. खेलोंका प्रकार।
४. श्रमके भेद और उनकी उपयोगिता।
५. उपसंहार।

मन बहलानेके किसी भी उपायको खेल कह सकते हैं। किसी भी प्रकारकी उछल-कूद, दौड़-धूप, अभिनय या चतुराईका प्रदर्शन खेल कहा जा सकता है। पहेली बुझौअलसे लेकर जानकी बाजी लगाकर शेरसे दो-दो हाथ करने तक, सब कार्य खेलमें आ जाते हैं। प्राचीन कालमें मल्ल-युद्ध, लक्ष्य-वेध, शब्द-वेध आदि वीरोचित खेल बहुत प्रचलित थे। केवल मन बहलानेके लिए हैदरअली का शेरोंसे निहत्या लड़ना भी इतिहासमें वर्णित है।

खेलोंका उद्गम जीवनकी आवश्यकताओंके कारण हुआ होगा, इसमें सन्देह नहीं। जीवन-संग्राममें जिस चतुराई और शरीर-लाघवकी आदिम मनुष्यको पद-पदपर जरूरत रही होगी, उसीमें निष्णात होनेके लिए अपने अवकाशके समय खेल रचे गए थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

मनुष्य-समाजकी प्रारम्भिक अवस्थामें वर्गोंका भेद नहीं था। सभीको खेती करनी होती थी, सभीको पशु-पालन करना

होता था और सभी सामाजिक भयके अवसरोंपर युद्ध के लिए तत्पर रहते थे। इसलिए त्यौहारों और उत्सवोंके दिनोंको छोड़कर किसीको खेलनेका अवकाश नहीं था; किन्तु धीरे-धीरे मनुष्यकी आर्थिक व्यवस्था बदलती गई और ऐसे वर्गोंका निर्माण हो गया जिन्हें या तो अवकाश-ही-अवकाश था या काम-ही-काम। अवकाश-प्राप्त वर्गने तब तरह-तरहके खेलोंका आविष्कार किया होगा।

अब खेल दो प्रकारके माने जाते हैं :—१. मैदानमें खेले जानेवाले और २. बैठकमें खेले जानेवाले।

भारतवर्ष में मैदानके खेलोंका कोई उल्लेखनीय विकास नहीं हुआ। कबड्डी और गिल्ली-डण्डाको छोड़कर ऐसा कोई खेल नहीं है जिसे खेलनेमें किशोर और युवक भी आनन्द ले सकें। हाँ, बच्चोंके खेलने योग्य बहुत-से खेल हैं—आँख-मिचौनी, अण्डा-डावरी (आती-पाती) तथा और अन्य कई प्रकारके भी खेल कम ज्यादा हर एक प्रान्तमें प्रचलित हैं। कुछ विदेशी खेल—जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस हमारे देशके नगरोंमें बहुत प्रचलित हो गए हैं; यहाँ तक कि इन खेलोंकी अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धामें हिन्दुस्तान ने कई बार गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। ये खेल एक तरहसे भारतीय ही हो गए हैं। गाँवोंमें इनका प्रवेश नहीं हुआ है। गाँवोंमे गिल्ली-डण्डा और कबड्डी-जैसे शत-प्रतिशत भारतीय खेल भी लुप्तप्राय हो रहे हैं। यों 'हु-तू-तू' जो कबड्डीका ही एक प्रकार है, महाराष्ट्र के नगरों और गाँवोंमें समान रूपसे प्रचलित है, और अन्तर्राष्ट्रीय खेलोंकी गणनामें आ गया है।

हु-तू-तू या कबड्डीमें दो दल होते हैं। खेलनेवाले लोग दो मुखिया चुनकर दो दल बना लेते हैं और मैदानमें आमने-सामने खड़े हो जाते हैं। दलोंके बीचमें सीमा-रेखा खींच दी जाती है

और खेल शुरू हो जाता है। एक टोलीका खिलाड़ी दूसरी टोलीकी सीमामें डू-डू-डू या ऐसी ही कुछ ध्वनियाँ करता हुआ घुस जाता है। दूसरे दलके लोग उसे पकड़नेकी कोशिश करते हैं, अगर वे उसे पकड़ लें और उसका शब्द भंग हो जाए तो वह 'मरा' माना जाता है और वह फिर खेलमें भाग नहीं ले सकता है। इसके विपरीत यदि वह अपनी ध्वनियोंका उच्चारण करता हुआ दूसरे दलके एक या एकसे अधिक व्यक्तियोंको छूकर अपने दलकी सीमामें लौट आए तो वे खिलाड़ी 'मरे' माने जाते हैं। खिलाड़ीसे मर जाने या अपने दलमें लौट आनेपर दूसरे दलका खिलाड़ी पहले दलकी सीमामें प्रवेश करता है। इस तरह यह खेल खेला जाता है। जब एक दलके खिलाड़ी 'मर' चुकते हैं, तब खेल समाप्त हो जाता है। यह खेल बड़ी चतुराई और चुस्तीका है। कहीं-कहीं एकाक्षरी शब्दके सिवा छन्द पढ़ते हुए भी प्रवेश किया जाता है। जैसे--

तुआ तुतकार
गुलेल फटकार;
गुलेल गई टूट;
भेलसा लूट।

गिल्ली-डण्डा कुछ हद तक क्रिकेट जैसा खेल है। इसमें भी दो दल होते हैं। इसमें बल्लेकी जगह डण्डा और गेंदकी जगह चार-छह अंगुल लम्बा लकड़ीका नुकीला टुकड़ा होता है। खुले मैदानमें दो दल बनाकर खिलाड़ी इकट्ठे होते हैं और सब बारी-बारी से डण्डेसे गिल्लीपर टोला मारते हैं। जिसका टोला अधिक लम्बा पड़ता है वह दान (दाँव) लेता है और दूसरा दान (दाँव) देता है।

दान (दाँव) देनेवाला दल उस स्थानपर जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ तक दान (दाँव) देनेवाले दलका लम्बे-से-लम्बा टोला पहुँचा था। मान लीजिए कि प्रत्येक दलमें छह-छह खिलाड़ी

हैं तो गुच्चीके पास, याने जहाँसे गिल्ली बढ़ाई गई है, छह डण्डे आड़े रख दिए जाएँगे। दान देनेवाला दल उक्त दूरीसे छह गिल्लियाँ फेंकेगा। अगर एक भी गिल्ली आड़े रखे हुए डण्डोंमें लग गई तो दाँव समाप्त हो गया, ऐसा माना जाएगा। अन्यथा दान देनेवाले दलके सभी खिलाड़ी अपनी-अपनी गिल्ली और डण्डा चुनकर फिर टोले लगाएँगे। दूसरे दलके लोग दौड़-दौड़कर उन्हें छुएँगे। जब तक एक दलके खिलाड़ी नहीं छू लिए जाते, तब तक अछूते खिलाड़ी गिल्लीके टोलेको बढ़ाते रहते हैं और दान देनेवाले दलके गुच्ची तक रखे हुए डण्डोंपर फिर अधिकतम दूरीसे गिल्लियाँ फेंकनी पड़ती हैं। जब तक गिल्ली डण्डोंमें नहीं लगती खेल चलता रहता है। डण्डोंमें लग जानेपर फिर गुच्चीके पाससे गिल्ली बढ़ाते हैं और खेल पूर्ववत् शुरू हो जाता है।

गिल्ली-डण्डेमें हार-जीतकी कसौटी दान (दाँव) देने या लेनेकी अवधिकी लम्बाईपर निर्भर है। दान (दाँव) देनेवाला दल हारा हुआ और लेनेवाला दल जीता हुआ माना जाता है।

पाश्चात्य देशोंमें खेलोंका बड़ा महत्व है। खेल वहाँ राष्ट्रीय जीवनके प्रतिबिम्ब माने जाते हैं और पाठशालाओं, विश्वविद्यालयों तथा सार्वजनिक क्लबोंमें उनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। इंग्लैण्डमें तो प्रसिद्ध है कि वाटरलू की लड़ाई हम नहीं जीतते अगर हमारे विश्वविद्यालयोंमें खेलोंका इतना चलन न होता।

केवल बच्चोंके ही नहीं, वरन् बड़ोंके स्वास्थ ठीक रहनेके लिए भी खेल सहायक होते हैं। इसलिए हम बड़ी उम्रके लोगोंको भी कई तरहके खेल खेलते हुए देखते हैं। बड़ी उम्रके कई लोग बॉक्सिंग, वजन उठाना, कसरत, कुश्ती, घुड़दौड़, शिकार आदिके अलावा बागबानी आदि करके भी अपने स्वास्थ्यकी रक्षा करते हैं।

वर्णनात्मक लेखोंकी रूपरेखाएँ——

१. फूल

फूलोंको वृक्ष-लताओंका पुत्र, तो फलोंको पिता कहना उचित है। फलनेसे पूर्व प्राय: सभी लता-वृक्ष फूलते हैं। कुछ वृक्ष फूलते नहीं और फलते भी नहीं। कुछ फलते तो हैं, पर फूलते नहीं।

यौवनका विकास सबका ही सुहावना होता है। फूल भी लता-वृक्षोंके यौवनके विकास हैं। फूल भी वृक्ष-लताओंकी भाँति नाना रंग-रूप और आकार-प्रकारके होते हैं। कुछ फूल सुगन्धित होते हैं। कुछ देखनेमें अत्यन्त सुन्दर होते हैं, पर उनमें सुगन्ध नहीं होती। फूलोंमें स्निग्धता और कोमलता लता-वृक्षोंके हर एक भागसे अधिक होती है। ईश्वर की बनाई हुई सबसे सुन्दर वस्तुओंमें फूल मुख्य है।

फूल सबको अच्छे लगते हैं। पशु-पक्षी, कीट-पतंग, भौंरे-तितली तक फूलोंके रंग-रूप और उनकी सुगन्धसे मस्त होते हैं। आदमी फूलोंको बहुत प्यार करता है। वह फूलोंको अलभ्य मानता है, इसीसे देव-पूजनमें फूलोंका बहुत महत्व है। फूलोंसे स्त्रियाँ और लड़कियाँ अपने शरीर सजाती हैं। सुगन्धित फूलोंसे इत्र निकाला जाता है। तरह-तरहके सुगन्धित तेल भी फूलोंसे बनाए जाते हैं। फूलोंसे भरे हुए बगीचेमें जाते ही दिमाग तरोताजा हो जाता है।

फूलके कई अंग होते हैं। पँखुड़िया या दल, केसर, पराग, पत्तियोंका आवरण तथा फलका मूल रूप। फूल लता या वृक्षके वृन्तमें संलग्न रहता है। फूलके झड़ने तक फल सर्दी-घाम सहने लायक हो जाता है।

२. उद्यान

नाना प्रकारके वृक्ष। कोई फूलोंसे भरे हुए, कोई फलोंसे लदे हुए। सुन्दर-सुन्दर पुष्पित-फलित लताएँ। भाँति-भाँतिके पौधे। हरी-भरी क्यारियाँ। सघन कुंज, फव्वारे, बावड़ियाँ और कुएँ। दूबका मखमली बिछौना। टहलने-घूमनेके लिए प्रत्येक भागमें मार्ग। स्थान-स्थानपर विश्राम करनेके लिए बैठकें, मंच आदि। मधुमक्खियों और भौरोंकी गुँजार। पक्षियोंका कलरव। प्रभात-कालकी बूँदें। सन्ध्याका दृश्य। गोधूलिकी निस्तब्ध शांन्ति। चाँदनी रातका दृश्य।

उपवन और मन-बहलाव। उपवन और स्वास्थ्य। फूलोंकी सुगन्धसे आत्माकी परितृप्ति। नगरों और गृहस्थीके जीवनके लिए उद्यान परमावश्यक। उद्यानमें अध्ययन और मननकी सुविधा। दिमागकी ताजगी। फल-फूलोंकी प्राप्ति। कोयल, मोर आदि पक्षियोंका सुमधुर संगीत।

मालीका का काम बड़ा रोचक, परिश्रम तथा बुद्धिका है। अनुभवकी वृद्धि होती है। सबको जानना चाहिए। प्रत्येक निवास-स्थानके एक भागमें उद्यान हो।

३. बरगद

विशाल आकारका वृक्ष। चौड़े,मोटे और मजबूत पत्ते। उष्ण और वर्षावाले प्रदेशोंमें उत्पत्ति। भारतवर्षका अत्यन्त प्राचीन काल-से प्रसिद्ध वृक्ष। वेद-कालीन भारतीय साहित्यमें इसका उल्लेख।

अत्यन्त छोटे बीजसे उत्पन्न। जहाँ-कहीं बीज गिर पड़े वहीं उग जाता है। पुरानी इमारतों, कुओं, मन्दिरों और सरोवरोंके

आसपास इसका होना। आकार बढ़नेके साथ-साथ बड़ी-बड़ी शाखाओंसे बरोहें लटककर पृथ्वीमें धँस जाना और मुख्य तनेको सुदृढ़ बनाना। दीर्घ जीवन। मुख्य तनेके सूख जानेपर भी बरोहोंका बहुत दिनों तक वृक्षको जीवित रखना। प्रयाग का अक्षय वट, अन्य पुराने वट वृक्ष।

फल मीठा, पक्षी और बच्चोंको रुचिकर। हाथी का इसके पत्तोंको रुचि-पूर्वक खाना। सघन छाया; ग्रीष्मकालमें शीतल और शीतकालमें गर्म। यह वृक्ष पक्षी-कुलका निवास-स्थान व पथिकोंका आश्रय। बरातोंका इसकी छायामें ठहरना, मेलोंका लगना ग्राम-पंचायतोंका होना। वर्षा, घाम और शीत--तीनों ऋतुओंमें शरण आए हुओंकी रक्षा करना। इसकी लकड़ी किसी विशेष कामकी नहीं।

हिन्दुओंमें बरगद वृक्षका सम्मान। वट वृक्षका रोपना पुण्य कार्य। इसकी पूजा और सम्मानका औचित्य।

४. दीपावली

कार्तिक मासकी अमावस्याकी रातको यह उत्सव होता है। दीपावली हिन्दुओंका जातीय त्यौहार। घर-घर बहुसंख्यक दीपकोंका जलना।

इसी दिन श्री रामचन्द्रजी ने चौदह वर्षोंके वनवासके बाद अयोध्या में प्रवेश किया था। यह खरीफकी फसलका भी त्यौहार है। वर्षाके कारण रुका हुआ व्यापार आदि भी इसी समय फिर चालू होता है।

घरोंकी सफाई, मरम्मत। उन्हें सजाना और लक्ष्मीपूजन। मिठाई, पकवान आदि बनाना और उत्सव मनाना। हवन आदि

करना । दीपावलीकी रातको नगरों, बाजारों और घरोंकी शोभा दर्शनीय ।

रोगोत्पादक कीटाणुओंका नाश । वायुका शुद्ध होना । उत्सव और राग-रंगसे मनमें स्फूर्तिकी उत्पत्ति । जातीय जीवनका अनुभव । लक्ष्मी और गणेश का पूजन करके सांसारिक वैभव और कल्याणकी इच्छा करना और उसकी प्राप्तिमें प्रयत्नशील होना ।

जुएकी कुरीतिका कलंक । इतने पवित्र और सोद्देश्य त्यौहारमें जुएकी प्रथाका चल जाना शोभनीय नहीं ।

व्यापारियोंका वर्षारम्भ । गत सालके हानि-लाभका विचार करके नूतन वर्षमें नए उत्साहसे कार्य करनेकी तैयारी । दीपावली विशेषकर वैश्योंका त्यौहार है ।

५. शिमला

भारतवर्ष का प्रसिद्ध पर्वतीय नगर । हिमालय के मध्यमें स्थित । अपनी प्राकृतिक शोभा तथा उत्तम जलवायुके लिए प्रसिद्ध ।

पूर्वमें छोटा शिमला । पश्चिम में बालूगंज । उत्तर में संजोली तथा दक्षिणमें वन और घाटी ।

शिमला एक पर्वतपर बसा है । यह पर्वत ऊँचे-ऊँचे देवदारुके वृक्षोंसे ढँका है, इसीसे शिमलाकी शोभा बहुत बढ़ गई है । यहाँ कहीं-कहीं सरोवर और चीड़के वृक्ष भी हैं ।

शिमला भारत-सरकारकी ग्रीष्म ऋतुकी राजधानी थी । इस ऋतुमें यहाँ बड़ी रौनक रहती है । शिमला पहुँचनेके लिए कालका तक रेलकी बड़ी लाइन है । वहाँ से शिमला तक छोटी पहाड़ी

लाईन। पहाड़पर रेलका चक्करदार घुमाव, गुफाओंमेंसे रेलका गुजरना। कालका से मोटर पर भी जा सकते हैं। प्राकृतिक और नागरिक–दोनों प्रकारकी शोभा शिमला में देखी जा सकती है। शीतकालमें शिमला में अत्यधिक शीत पड़ती है। अँग्रेजी शासन-कालमें यह ऐतिहासिक महत्वका नगर रहा है।

कालका से शिमला की पैदल यात्रा अत्यन्त रोचक। सुन्दर दृश्य, वन्य और हिंसक पशुओंका अभाव। पहाड़ी लोग बड़े सीधे-सादे, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, घरोंमें ताला नहीं लगाते, दूध-दही नहीं बेचते; बड़े अतिथि-सत्कार करने-वाले। तमाखूका खूब प्रचार।

६. बाढ़

अतिवृष्टिके फलस्वरूप नदियोंका जल भयंकर रूपसे बढ़ जाना। किनारोंको लाँघकर जलराशिका इधर-उधरके प्रदेशमें फैल जाना।

धन-जनकी हानि। गाँवों और बस्तियोंका जलमग्न हो जाना, खेतोंका डूब जाना। पशुओं तथा मनुष्योंका बह जाना। १९३४ की बाढ़का प्रलयंकर दृश्य। भयंकर और प्रखर धारामें किश्तियों तकका न ठहर सकना। मीलों तक जल-ही-जल। बहे जाते हुए वृक्ष, पशु, जंगली जानवर, विषैले साँप, सुअर आदि। डाक आदिका आना-जाना बन्द। हवाई जहाजसे उस बाढ़का दृश्य। बाढ़-पीड़ित लोगोंकी दशा। स्त्रीकी गोदका बालक बाढ़की भेंट। अनाथ बालक के माता-पिता दोनों जलमग्न। एक विधवाका सर्वस्व नष्ट। एक चालीस-पचास आदमियोंके सम्पन्न परिवारमेंसे केवल एक बूढ़ा शेष। बाढ़ दैवी प्रकोप। मनुष्यका उसपर वश नहीं।

बाढ़के उपयोगी पहलूपर विचार । सृष्टिका कोई व्यापार केवल सदोष या केवल निर्दोष नहीं । बाढ़से उपजाऊ मिट्टीका मैदानमें बिछ जाना ।

उपसंहार । दोष ही अधिक व्यापक ।

७. अग्निकाण्ड

जीवनके लिए आग आवश्यक । पर अग्निकाण्डका रूप धारण करनेपर उसका प्रलयंकर विकराल रूप ।

प्रायः असावधानीके कारण अग्निकाण्ड होते हैं । बस्तियोंमें अग्निकाण्ड । मकानों, दूकानों और कारखानोंमें आगसे लाखोंकी सम्पत्ति स्वाहा । जीवनकी हानि । जंगलोंमें अग्नि-दाह । सूखे पेड़ोंकी डालियोंकी रगड़से अग्नि-प्रज्वलन । वायुके साथ उसका फैलना । सघन-सुन्दर वनोंका श्मशानोंमें परिणत हो जाना । वन्य जीवोंका भयभीत होना, बहुतोंका भस्म हो जाना ।

बड़े-बड़े नगरोंमें नगर-सभाओंकी ओरसे प्रबन्ध, आग बुझानेकी कल आदि । वनोंमें आगकी बाढ़ देखकर आगको फैलनेसे रोकना आदि ।

किसी बड़े अग्निकाण्डका वर्णन । अग्निकाण्डके समय स्काउटों और स्वयंसेवकों द्वारा की गई सेवा ।

———

३.

विवरणात्मक निबन्ध

किन्हीं सत्य या काल्पनिक घटनाओंका विवरण लिखना विवरणात्मक निबन्ध कहलाता है।

अत: विवरणात्मक निबन्धमें निम्नलिखित रचनाएँ शामिल मानी जाती हैं :--

१- जीवनी, २. आत्म-चरित्र, ३. ऐतिहासिक घटना, ४. काल्पनिक घटना, कहानी या आविष्कार।

साधारणतया विवरणात्मक निबन्धोंकी रूपरेखा इस प्रकार हो सकती है--

जीवनी :--

१. प्रारम्भिक, जन्मतिथि, स्थान, माता-पिता अन्य परिस्थितियाँ।

२. बचपन, शिक्षा, प्रभाव डालनेवाले पुरुष और घटनाएँ।

३. जीवन-वृत्त, कार्य आदि।

४. चरित्र और सेवा-कार्योंकी विवेचना, अपने युग या साथियोंपर उनका प्रभाव।

५. उपसंहार।

आत्म-चरित्र :-- (जीवनीकी ही तरह)

काल्पनिक आत्म-चरित्रोंमें जिस पशु-पक्षी या पदार्थका आत्म-चरित्र लिखा जा रहा है, उसके विषयमें वर्णनात्मक

निबन्धोंकी रूपरेखाके अनुसार उत्तम पुरुषका उपयोग करके लिखा जाए। थोड़ी सहानुभूति और कल्पनासे ऐसा आत्मचरित्र सध जाएगा।

ऐतिहासिक घटना :—

१. प्रारम्भिक, २. घटनाकी तिथि, कारण, स्थान आदि।
३. घटनाका वर्णन; ४. घटनाका फल, ५. इतिहासमें उसका स्थान।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

लोकमान्य तिलक हमारे पहले नेता थे, जिन्होंने अँग्रेजोंको यह बताया—"स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।" उन्होंने ही सबसे पहले अँग्रेजोंको सचेत किया कि अब भारतवासी गुलाम नहीं रह सकते। भारत की आजादीके लिए तिलक अपने जीवनभर बड़ी बहादुरीसे लड़ते रहे। पहली अगस्तको उनकी पुण्यतिथि सारे भारत में बड़े आदरसे मनाई जाती है। आपका जन्म २३ जुलाई, १८५६ में महाराष्ट्र प्रान्तके रत्नागिरि जिलेमें हुआ था।

तिलक गरम दलके नेता थे। दूसरे नेताओंकी नाईं 'अँग्रेजोंसे नरमीका बर्ताव करो' में उनका विश्वास नहीं था। वे तो भारत को पूरी तरहसे आजाद देखना चाहते थे। वे जानते थे कि भारत के करोडों लोगोंकी गरीबीका कारण अँग्रेज लोग ही हैं। इसलिए उन्होंने सारे देशको जगाया और कहा—'देशवासियो, जागो! स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें अपना यह अधिकार लेना ही चाहिए।"

जनताको जगानेका साधन जो उनके पास था, वह था समाचार-पत्र। उन्होंने 'केसरी' और 'मराठा' नामके दो अखबार निकाले। 'केसरी' का मतलब ही 'सिंह' होता है। सचमुच 'केसरी' की आवाजसे अँग्रेज काँप जाते थे। जनताकी नींद टूट जाती थी। तिलक बड़ी तीखी बात लिखते थे। एक बार 'केसरी' में एक कविता छपी। अँग्रेज डरे कि ऐसी बातोंसे हमारा राज्य उखड़ जाएगा। उन्होंने तिलक को एकदम कैद कर लिया। परन्तु तिलक डिगे नहीं। उन्होंने अदालतके सामने अपनी बात इस तरह रखी कि अँग्रेजोंको उन्हें छोड़ना ही पड़ा। परन्तु अँग्रेजोंमें कहाँ चैन थी। बंगाल में बमबाजी हुई। तिलक ने उसके बारेमें 'केसरी' में लिखा, बम फेंकनेसे अँग्रेजोंका अत्याचार बढ़ेगा। स्वराज्य इस तरह नहीं मिलेगा। परन्तु लोग बम इसलिए फेंकते हैं कि उन्हें अँग्रेजोंकी मनमानी पसन्द नहीं है। इस तरह उन्होंने अँग्रेजोंकी कड़ी आलोचना की। सरकारको फिर बहाना मिला। तिलक पर राजद्रोहका मुकदमा चलाया गया। उसमें उन्हें सात सालकी सजा दी गई। वे १९०८ से १९१४ तक ब्रह्मदेश के मांडले शहरकी जेलमें रहे। इस घटनासे लोगोंमें बड़ी हलचल मची। जेलमें तिलक ने एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी। इस पुस्तकका नाम 'गीता-रहस्य' है। सारी दुनियामें 'गीता-रहस्य' की प्रशंसा हुई।

१९१४ में तिलक जेलसे छूटे। पूरे देशने बड़े उत्साहसे उसका स्वागत किया। काँग्रेसमें उस समय दो दल थे–एक गरम दल और दूसरा नरम दल कहलाता था। नरम दल वाले कहते थे–"धीरे-धीरे सब काम चलने दो।" इस दलके नेता गोपाल

कृष्ण गोखले थे। गरम दलके नेता लोकमान्य तिलक थे। १९१५ में दोनों दल मिलकर एक हो गए। काँग्रेसपर तिलक महाराजका बड़ा असर था। १९१६ में उन्होंने महाराष्ट्र में, 'महाराष्ट्र-होमरूल-लीग' नामकी एक संस्था बनाई। यह संस्था गरम दलवालोंकी थी। 'पूर्ण स्वराज्य' इसकी माँग थी। जनताके मनपर तिलक का पूरा अधिकार था। उस समय उन्हें काँग्रेसका सभापति बनानेकी तैयारी चल रही थी।

परन्तु ३१ जुलाई, १९२० को हम लोग तिलक महाराजसे हमेशाके लिए बिछुड़ गए। सारे भारत पर दुखका पहाड़ टूट पड़ा। मरते समय तिलक के पास गाँधीजी और लाला लाजपतराय थे। तिलक जानते थे कि भारत को आजाद करनेकी ताकत गांधीजी में है।

उनकी शव-यात्रामें लाखों लोग इकट्ठे हुए थे। गांधीजी आगे-आगे चल रहे थे। उस दिन बरसात जोरोंपर थी; मानो आकाश भी मौतपर आँसू बहा रहा था।

तिलक लोगोंके प्यारे नेता थे, इसलिए उन्हें 'लोकमान्य' के नामसे पुकारा जाता है। 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है'—तिलक के इस मन्त्रने भारत की जनतामें ताकत फूंकी। आज भी लोगोंके मनपर उनकी अमिट छाप है। हमें स्वराज्यका मन्त्र देनेवाले लोकमान्य तिलक अमर हैं।

---

२. योगिराज अरविन्द

अपने देशके महापुरुषोंमें श्री अरविन्द का नाम प्रसिद्ध है। लगभग ४० वर्षोंसे वे पांडिचेरी में रहते थे। वहीं उनका आश्रम है, जहाँ उनके बहुतसे शिष्य रहते हैं।

अरविन्द का जन्म १८७२ की पन्द्रह अगस्तको कलकत्तामें हुआ था। करीब १४ वर्ष तक वे इंग्लैण्ड में पढ़ाई करते रहे। सोमवार ता. ५–१२–५० को रातके डेढ़ बजे उनका देहान्त हो गया।

जब वे विलायत में पढ़ते थे, तब अपने देशमें अँग्रेजोंके जोर-जुल्मके समाचार सुनकर उनको बड़ा गुस्सा आता था। उनके पिताजी जब उन्हें पत्र लिखते तब यहाँकी राजनीतिकी घटनाओंकी खबरें भी भेजा करते थे। इन बातोंने उनमें राष्ट्रीयता और देश-प्रेम भर दिया।

सन् १८९७ में वे वापस देश लौटे और उन्होंने बड़ौदा राज्यमें नौकरी कर ली। इसी समय उनका मन साहित्य और धर्मकी ओर झुका। महाराष्ट्र के विष्णु भास्कर लेले से उन्होंने योगकी दीक्षा ली और प्राणायामकी साधना करने लगे।

उनके विचार क्रान्तिकारी थे। वे देशमें क्रान्ति चाहते थे। 'वन्दे मातरम्' नामके अखबारमें वे अँग्रेजोंके खिलाफ लेख लिखा करते थे। उसी समय अलीपुर बम केस हुआ। सरकारकी उनपर कड़ी नजर थी। वे पकड़ लिए गए। एक वर्ष जेलमें बन्द रहे और बादमें छोड़ दिए गए। जेलसे निकलनेके बाद वे राज-नीतिसे अलग हो गए।

परन्तु सरकार तो इनको अपने रास्तेका सबसे बड़ा काँटा समझती थी। एक दिन एकाएक 'कर्मयोगी' अखबारके दफ्तरपर

पुलिसने धावा बोल दिया। इस बातकी खबर श्री अरविन्द को पहले ही मिल गई थी। सरकार का यह रवैया देखकर उन्होंने अँग्रेज सरकार की हदसे बाहर रहनेका निश्चय किया।

वे गंगा के किनारे पहुँचे और चन्द्रनगर जानेवाली एक नावमें बैठ गए। इस तरह १९१० में पांडिचेरी जा पहुँचे। तबसे जीवनके आखिरी दिन तक वहीं रहे।

उनका विश्वास था कि संसारमें आनन्द और शान्तिका एक-मात्र उपाय है—मानव आत्माका विकास। उनके मतानुसार जीवन एक योग है। इसकी तीन सीढ़ियाँ हैं, जिन्हें मनुष्यको पार करनी है। ये हैं :—१, शारीरिक जीवन २. मानसिक जीवन और ३. आध्यात्मिक जीवन। मनुष्यका परम कर्तव्य है कि वह आत्माका चरम विकास करता हुआ परमात्माका साक्षात्कार करे। उनका विश्वास था कि भविष्यमें इस साधनके बलपर सारी मनुष्य-जाति शरीर, मन और आत्मासे बिलकुल बदल जाएगी।

पांडिचेरी आश्रम में करीब ८०० शिष्य यह साधना आज भी कर रहे हैं।

योगी अरविन्द पूरा एकान्तवास करते थे। वे अपने आश्रमके लोगोंसे भी नहीं मिलते थे। वर्ष-भरमें सिर्फ चार बार उनके दर्शन होते थे—

१. १५ अगस्त......उनका जन्म-दिन।
२. २४ नवम्बर......उनका सिद्धि-दिन।
३. २१ फरवरी......श्री माताजी का जन्म-दिन।
४. २४ अप्रैल......श्री माताजी का आगमन।

श्री माताजी फ्रांस की रहनेवाली थीं। इनका भारतीय नाम मीरादेवी है। आश्रमके सब लोग इन्हें 'माँ' कहते थे। साधनामें भी वे श्री अरविन्द के बराबर मानी जाती हैं। वे सन् १९१४ में भारत आईं। श्री अरविन्द के दर्शन कर वे पांडिचरी में ही रह गईं। इन्हीं माताजीके जरिए अरविन्द अपने सन्देश और उपदेश लोगोंको देते थे। धर्मके विषयोंपर उन्होंने कई बड़ी-बड़ी किताबें लिखी हैं। योगी अरविन्दको पूरा विश्वास था कि उनके बताए रास्तेपर चलकर मनुष्य-जातिका कल्याण हो सकता है।

मनुष्यको सच्चा मनुष्य बनानेवाले अरविन्द आज हमारे बीच नहीं है; पर वे अमर हैं। उनका सन्देश अमर है।

---

३. नेताजी सुभाषचन्द्र बोस

१. जन्म, शिक्षा और राजनैतिक जीवन।

२. आजाद हिन्द फौजका संगठन और मृत्यु।

भारत-माता का मुख उज्ज्वल करनेवाले सपूतोंमें नेताजी सुभाषचन्द्र बोसका नाम बड़े स्नेह और आदरसे लिया जाता है। हिन्दुस्तान बहुत दिनों तक इन्हें 'सुभाष बाबू' के नामसे और अब केवल 'नेताजी' के नामसे याद करता है। उनका जन्म उत्कल प्रान्तके कटक नामक स्थानमें २३ जनवरी सन् १८९७ को हुआ। आपके पिताका नाम रायबहादुर जानकीनाथ बोस था। माता श्रीमती प्रभावती बोस बड़ी धर्मपरायण थीं। उन्होंने बालक सुभाष को देशभक्ति अपने दूधके साथ ही पिलाई थी।

पांच वर्षकी उम्रमें वे कटक के प्रोटेस्टेण्ट स्कूलमें पढ़नेके लिए भेजे गए। स्कूलमें दो किस्मके विद्यार्थी आते थे---एक तो अँग्रेजोंके बच्चे, दूसरे अँग्रेजनुमा लोगोंके बच्चे ! अँग्रेज उन दिनों हमारे देशके शासक थे। बालक सुभाष ने उन बच्चोंमें शासकोंका-सा दम्भ, अपने बड़प्पनकी भावनामें मिथ्या विश्वास, भारतीय बच्चोंके प्रति तुच्छता और तिरस्कारकी दृष्टि देखी और उसके मनमें तभीसे अँग्रेजोंके प्रति एक तरहका विद्रोह जड़ पकड़ने लगा। उस छोटी उम्रमें ही उसने प्रतिज्ञा की 'इस अपमानसे देशको बचानेके लिए ही वह अपने प्राणोंकी आहुति देगा।'

१९१३ में रेवनशॉ कॉलेजिएट स्कूलसे उन्होंने मैट्रिक पास किया। वे बहुत अच्छे नम्बरोंसे पास हुए; इससे उनके अँग्रेजी सहपाठियोंको बहुत बुरा लगा।

उसी साल वे कलकत्ते के प्रेसीडेन्सी कॉलेजमें भर्ती हुए। वहाँ वे तत्कालीन बंगाल के सबसे बड़े नेता स्व. श्री सुरेशचन्द्र बनर्जी के सम्पर्कमें आए और तभी मातृभूमिकी सेवाके लिए उन्होंने आजीवन अविवाहित रहनेका संकल्प किया। इन्हीं दिनों उनके मनमें आध्यात्मिक उथल-पुथल भी मची हुई थी। वे सृष्टिके रहस्यको समझनेके लिए बड़े व्याकुल थे। इसलिए संसारका त्याग करके गुरुकी खोजमें कितनी ही जगह घूमे; पर शान्ति न मिली। उन्हें हमेशा लगता रहता था कि मैं किसी विशेष कामके लिए भेजा गया हूँ। पर्यटन और परेशानीके इन्हीं दिनोंमें उन्होंने एफ. ए. की परीक्षा दी। इतनी बाधाओं और उलझनोंके रहते हुए भी सुभाष बाबू प्रथम श्रेणीमें उत्तीर्ण हुए।

सुभाष बाबू बी. ए. का अध्ययन करने लगे। प्रेसीडेन्सी-कॉलेजमें सी. एफ. ओटन नामक एक अँग्रेज प्रोफेसर पढ़ाते समय

भारतीय संस्कृतिपर आक्षेप किया करते थे। सुभाष बाबू के लिए उसे चुपचाप सहते चला जाना असम्भव था। एक दिन उन्होंने अपने साथियों-समेत उसे घेरकर उसकी खूब मरम्मत की। फलस्वरूप वे दो वर्षके लिए कॉलेजसे निकाल दिए गए; किन्तु सर आशुतोष मुखर्जी की सिफारिशसे स्कॉटिश चर्च कॉलेजमें उन्हें स्थान मिल गया और १९१९ में बी. ए. ऑनर्सकी परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणीमें पास की।

इसके बाद उन्होंने इंग्लैण्ड जाकर आई. सी. एस. की परीक्षा पास की और अपने स्वभावके अनुसार सन् १९२१ में आई. सी. एस. से त्यागपत्र भी दे दिया।

१९२१ में महात्मा गांधी ने असहयोगकी लड़ाई छेड़ दी। सुभाष बाबू उसीमें सम्मिलित हो गए, किन्तु उनकी विचारधारा गांधीजी से पूरा-पूरा मेल नहीं खाती थी। प्रिन्स ऑफ वेल्स के स्वागतके विरोधमें सुभाष बाबू ने कलकत्ता में बड़ी सफल हड़ताल करवाई। इस अपराधमें उन्हें छह महीनेका कारावास हुआ। जेलसे छूटनेके थोड़े ही दिनों बाद सुभाष बाबू ने चित्तरंजन दास की स्वराज्य पार्टीके 'फारवर्ड' पत्रका सम्पादन प्रारम्भ कर दिया। सरकारने बिना मुकदमा चलाए इन्हें अलीपुर जेलमें बन्द कर दिया। वहाँसे वे मांडले भेजे गए। स्वास्थ्य खराब होनेपर उनकी मुक्ति हुई और वे रचनात्मक कार्योंमें जुट गए। सन् १९२९ में काँग्रेसने पूर्ण स्वतन्त्रताका प्रस्ताव पास किया और सुभाष बाबू फिर पकड़े गए। इस बार अलीपुर जेलमें उनपर बहुत अत्याचार भी किए गए। इसी प्रकार सन् '३० और '३२ में भी सुभाष बाबू को सरकारने कारावासका दण्ड दिया।

सन् १९३३ से '३८ तक वे यूरोपके प्रमुख राजनीतिज्ञोंसे मिलते रहे और उन दिनों उन्होंने भारत की परिस्थितिके विषयमें बहुत सोचा।

हरिपुरा कांग्रेस-अधिवेशनके अध्यक्ष चुन लिए जानेपर वे भारत लौटे। गांधीजी और सुभाष बाबूके बीचका मतभेद बढ़ता गया। मतभेदके बावजूद दूसरे वर्ष भी वे त्रिपुरी-अधिवेशनके अध्यक्ष चुने गए; किन्तु अन्तमें उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। सुभाष को सरकारने कैद कर लिया। उन्होंने जेलमें आमरण अनशन प्रारम्भ किया। विवश होकर अँग्रेज सरकारने उन्हें मुक्त किया और २६ जनवरी, १९४१ को वे शासनकी आँखोंमें धूल झोंककर जर्मनी पहुँच गए। १९४२ में 'भारत छोड़ो' के नारेके साथ-साथ आजाद हिन्द फौजका संगठन हुआ। सुभाष बाबू उसके नेता हुए। तभी 'जय हिन्द' और 'दिल्ली चलो' नामक दो नए मन्त्रोंका उद्घोष हुआ।

आजाद हिन्द फौजका संगठन अबतककी परम्पराओंके विरुद्ध धर्म, जाति और कौमको छोड़कर हुआ था। भारतीय नेताओं और देशभक्तोंके नामपर ब्रिगेडों और रेजिमेण्टोंके नाम रखे गए थे। एक विचित्र बलिदानकी भावनासे प्रेरित यह फौज इम्फाल तक पहुँची और वहाँ उसने राष्ट्रीय झण्डा लहराया। जापानियों की स्वार्थ-भावना, देशवासियोंकी नासमझी और अँग्रेजोंकी कूटनीतिके कारण आजाद हिन्द फौजका बल कम तो होने ही लगा था, कि तभी प्रकृति भी उनके विरुद्ध हो गई। वर्षा का मौसम आ गया। जापानियों की हारके बाद अब उसकी रही-सही शक्ति भी खतम हो गई। आजाद हिन्द फौजके कुछ सैनिक मारे गए, कुछ पकड़े गए और कुछ लापता हो गए।

नेताजी का कुछ पता नहीं चला। यद्यपि नेताजी की मृत्यु के सम्बन्धमें लोग निश्चयात्मक रूपसे कहने लगे हैं, फिर भी कुछकी धारणा है कि वे अभी भी संसारमें हैं और उपयुक्त अवसर पर फिर प्रकट होंगे।

---

४. मेरा एक स्वप्न

१. प्रस्तावना—स्वप्नकी रात्रिका दृश्य।
२. स्वप्नमें क्या देखा ?
३. महात्मा से मेरी बातचीत।
४. कवच और उसका प्रयोग।
५. कवच की चोरी और प्राप्ति।
६. उपसंहार—प्रातःकाल होनेपर नींदका टूटना।

बरसातकी रात्रि थी। आकाश मेघोंसे आच्छादित था। बिजली कड़क रही थी। फुवारें पड़ रही थीं। शीतल वायु मन्द गतिसे प्रवाहित हो रही थी। घना अन्धकार छाया हुआ था। नवयुवतियाँ झूला झूल रही थीं। उनके गीतोंका सुरीला स्वर कानोंमें अमृत उँडेल रहा था। झिल्लियोंकी झनकार एवं दादुरोंकी ध्वनि बड़ी सुहावनी लग रही थी। सड़कें सुनसान थीं। उनपर बिजलीकी बत्तियाँ टिमटिमा रही थीं। मैं अपने कमरेमें बैठा हुआ बिजलीके प्रकाशमें पुस्तक पढ़ रहा था। इसी समय पासकी ही बड़ी जेलके घण्टेने 'टन-टन' करके दस बजाए। मैं तत्काल बिजली बुझाकर चारपाई पर जा लेटा और शीघ्र ही गहरी निद्रामें निमग्न हो गया।

मैंने एक अद्‌भुत स्वप्न देखा । आकाशसे एक महात्मा नीचे उतरा। वह वृद्ध था । उसके बाल पककर श्वेत हो गए थ और जटाजूटके रूपमें सिरकी शोभा बढ़ा रहे थे। सारे शरीरपर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं । कौपीन ही उनका एकमात्र वस्त्र था । पैरोंमें खड़ाऊँ थी । पलकें बड़ी-बड़ी थीं । नाखून बढ़े हुए थे । शरीर जरा-जर्जरित था, पर उसमें ऐसा दिव्य तेज था कि वह दर्पणकी भाँति चमकता था । उसे देखते ही मेरे नेत्र बन्द हो गए।

महात्मा मेरे निकट आया और बोला---बच्चा ! आँख खोल और बतला, तुझे क्या चाहिए ? मैंने आँखें खोलीं और प्रणाम करके कहा---भारत-माता की बन्धन-मुक्ति ! महात्माने आशीर्वाद दिया और हँसते हुए कहा---धन्य है तेरी कामना ! ले यह कवच ! इसे धारण कर। यदि तू भारत-माताको स्वतन्त्र करनेके लिए संग्राम छेड़ेगा तो तुझे अवश्य सफलता मिलेगी। मैंने हर्षसे पुलकित होकर कवच ग्रहण किया और उसे मस्तकसे लगाया। इतनेमें ही महात्मा अदृश्य हो गया। मैं देखता ही रह गया।

अब क्या था ? मैंने स्वतन्त्रता-संग्रामकी तैयारी प्रारम्भ कर दी। कवच-रूपी वरदान पाकर मुझमें अपार उत्साह भर गया था। मैंने देशके कोने-कोनेमें भ्रमण किया । गाँव-गाँव गया और लोगोंसे स्वतंत्रता-संग्रामकी सेनामें भर्ती होनेका अनुरोध किया। कई स्थानोंपर मेरा विरोध हुआ । मुझे मूर्ख बतलाया गया; पर मैं अपनी धुनमें मस्त था, अपने निश्चयपर दृढ़ था । उससे विचलित होना असम्भव था । मैं जहाँ जाता वहीं जन-साधारणको यह समझाता था कि पराधीनताका जीवन व्यतीत करनेकी अपेक्षा पराधीनताका अन्त करनेके लिए युद्धमें लड़कर मर जाना श्रेयस्कर

है। गुलामी अभिशाप है, नरक है, उस दानवीसे जितनी शीघ्र मुक्ति मिले, जितने शीघ्र पिण्ड छूटे उतना ही अच्छा। बहुतसे लोगोंने विशेषकर नवयुवकोंने मेरी बात मानी और मेरे अनुयाइयोंकी संख्यामें दिन-प्रति दिन वृद्धि होने लगी। धीरे-धीरे एक बृहत् सेना संगठित हो गई और मैं उसका सेनापति बना।

शुभ दिवस एवं शुभ घड़ीमें शुभ स्वतन्त्रता-संग्रामका श्रीगणेश हुआ। घोड़ेपर सवार हो और सेना लेकर 'वन्दे मातरम्' गानेके साथ भारत-माता की बन्धन-मुक्तिके लिए मैं आगे बढ़ा। मेरे हाथमें तिरंगा राष्ट्रीय झण्डा था और शरीरपर महात्मा-प्रदत्त कवच था। मैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम--सभी दिशाओंमें विजयके हेतु घूमा और स्वाधीनताके लिए मैंने युद्ध किया। जहाँ गया वहीं विजय-लक्ष्मीने मेरा आदर किया। कवचरूपी अमोघ अस्त्रके समक्ष शत्रु टिक न सका।

एक दिन मेरे कवचका पता शत्रुको लग गया। फिर क्या था, तुरन्त उसकी चोरी हो गई। मैं उसके बिना दीन-हीन हो गया। मेरी दशा मणि-रहित सर्प-जैसी हो गई। न मुझमें तेज रह गया और न शक्ति। चारों ओर खोज की गई। पता लगानेके लिए अनेक गुप्तचर इधर-उधर भेजे गए। उनमेंसे एकको सफलता मिली। उसने बड़ी चतुराईसे कवचका पता लगाया। तत्पश्चात् वह उसकी प्राप्तिकी साधनामें संलग्न हुआ। वह वेश बदलकर उस व्यक्तिके यहाँ नौकर हो गया, जिसके घरमें कवच छिपा दिया गया था। अवसर मिलनेपर वह कवच लेकर चम्पत हुआ और लाकर मुझे अर्पण कर दिया। मैंने कवचको अंगीकार किया और गुप्तचर को पुरस्कृत किया।

कवच पाकर मुझे जो हर्ष हुआ वह वर्णनातीत था। मारे हर्षके में उछल पड़ा और मेरी नींद टूट गई। क्या देखता हूँ कि न कहीं कवच है और न कोई गुप्तचर। मेरे शरीरपर चादर पड़ी है और मैं उसीको कवच समझकर दोनों हाथोंसे दबाए हुए हूँ। सम्पूर्ण दृश्य मिथ्या था। इसी समय बड़ी जेलके घण्टेने 'टन-टन' ध्वनि करते हुए छह बजाए। मैं चारपाई छोड़कर खड़ा हो गया।

---

५. जीर्ण खद्दरकी आत्मकथा

१. जन्म, यौवन व बुढ़ापा।

२. उपसंहार।

एक दिन लम्बी और गर्म साँस छोड़कर जीर्ण खद्दर बोला—आज आपको सन्ध्या समयकी सिन्दूरी सुन्दरतासे सिरसे पैर तक सराबोर देखकर अपनी सुख-दुखमय और विविध घटनापूर्ण आत्मकथा सुनानेका साहस करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी उसे सुननेके इच्छुक होंगे।

स्वर्ग-सुख और नारकीय यातना, शशिकी शीतल चाँदनी और सूर्यकी प्रचण्ड तपन, प्रातःकालीन समीरका हास और सन्ध्याकालकी नीरव उदासीनता, रमणीके कटाक्ष और दूकानदारके दलालका विकट विलोकन—हाँ इतना सब कुछ आप मेरी जीवनगाथामें पाइएगा। मैं तो खाकसार चीज हूँ। भला तुच्छ वस्तुकी जीवनीको कौन लेखक लिखने बैठेगा? मिट्टीमेंही मिलनेवाले मनुष्यके लिए मैंने अपने-आपको आजीवन अर्पण कर रखा है। मैं यदि खेतमें किसानका बीज बोना, कपासके पौधेका फूलना और फलना इत्यादि बातोंका विस्तृत विवरण करने बैठूं तो उसका अन्त

नहीं होगा। मेरा जन्म तो उस समय हुआ था, जब 'स्वदेशी-आन्दोलन की धारा वेगसे बह रही थी। लोगोंके दिल स्वदेशीके लिए जग रहे थे, जी रहे थे और जल रहे थे। देशी वस्त्र धारण करनेका जौहर-व्रत यहांके नर-नारी ले रहे थे। इसलिए मेरा शैशव स्वदेशमें ही व्यतीत हुआ। शिक्षित होने और नवीन सभ्यताका सबक सीखनेके लिए लन्दन और लंकाशायर की यात्राका सौभाग्य या दुर्भाग्य मेरे नसीबमें नहीं बदा था। दयामयी भारत-माता के कृपालु-कोमल करकमलोंकी थपकियोंसे मेरा पालन-पोषण प्रारम्भ हुआ। माताका मुझपर कृपा कटाक्ष, सुदर्शन-रूपी चर्खेके मधुर संगीतकी धारामें स्नान, स्नेह-वात्सल्य हस्तका सुख-स्पर्श और उससे उत्पन्न मीठी गुदगुदी, लोरियाँ गा-गाकर सुलाना इत्यादि उस अल्प समयके सुख और अभिमानका अनुभव मुझे छोड़कर और किसीको न होगा। मेरा दिल पिघल गया और मैं बहुक्षीरा गौ की दुग्धधाराके समान स्नेह-सूत्र रूपमें बढ़ने लगा, जिसपर उस चन्द्रमुखीके स्मित हास्यकी चाँदनी चमक रही थी। देवीने गाया कि क्षीरसागरके मन्थनसे उत्पन्न मैं ऐश्वर्यरूपी सुधा हूँ और इस देशकी दारिद्रय-पिपासाको बुझानेके लिए पैदा हुआ हूँ। ओह ! मैं अपने उस स्वर्गीय शैशवको कभी नहीं भूल सकता।

शैशव बीत गया। अब मुझे मालूम होने लगा कि मेरे साथ लड़ाईका बर्ताव किया जा रहा है। मेरी शिक्षाके लिए मुझे एक अध्यापक—जुलाहे—के हाथ सौंप दिया गया। उसके यहाँ गुरुकुलमें जो-जो कष्ट उठाने पड़े उनका वर्णन नहीं हो सकता। मेरी यातना तो असह्य थी। बहुत दिनोंकी मारपीट और बड़ी खींचतानके बाद मैं एक साड़ी बनकर निकला। तब उस गाँवमें मुझ स्नातकको रखकर सेवा लेनेवाला कौन था ? मैं सरकारकी

युनिवर्सिटीसे निकला हुआ छैल-छबीला, बना-ठना उपाधिधारी—ग्रेजुएट—तो था नहीं; मोटा-ताजा और भद्दा था। मेरे रोम-रोममें स्वदेशीपन कूट-कूटकर भरा था। विश्ववन्द्य बापू (गांधीजी) की कृपासे एक युवतीने मुझे चुन लिया। वह एक सुन्दरी कुमारी थी। मैं पुलकित हुआ और मेरे ओंठोंपर मीठी मुस्कराहट खेलने लगी।

अब मेरा आगेका हाल घटनापूर्ण है। उस कुमारीने मुझे पवित्र प्रेमकी दुनिया दिखाई। अपने प्रेमीके आगमनकी प्रतीक्षामें वह घण्टों खड़ी रहती। कभी कुछ देर होती तो उसकी बड़ी-बड़ी आँखोंसे उमड़कर आँसूकी बूँदें छलक पड़तीं। धड़कते हुए हृदयको ढाढस बँधाने और टपकते हुए आँसुओंको पोंछनेका सौभाग्य मुझ भाग्यवानको मिला। प्रणयीके आते ही उस लज्जायुक्त मुख-मण्डलपर आवरण करनेका काम भी मेरे सुपुर्द किया गया। प्रणयी-युगलके बीचमें दोनोंको अभिन्न न होने देनेंका ग्रहणीय कार्य मेरे लिए खुशीकी बात थी। दोनोंके बीचमें पड़कर और रस-रंगमें गोता लगाकर वसन्तके उत्कृष्ट उल्लासको मैंने भोगा।

अब मैं पहले-जैसा नहीं रह गया था? जीर्ण हो चला था। एक दिन उस सहृदय युवतीने मुझे एक बूढ़ी भिखारिनको दे दिया। अब मैं उस दीन-दुखियाकी सेवा, सादा जीवन और मुक्ति-मार्गकी चिन्तामें फँसा। उस बूढ़ीके साथ-साथ मैंने भी कई श्रीमानोंके दरवाजेपर अपना आँचल फैलाकर भीख माँगी। कई जगहोंपर अन्न तो मुट्ठीसे कम और गालियाँ पेटभर मिला करती थीं। रहनेको घर नहीं, खानेको अनाज नहीं, पीनेको कोई पानी तक नहीं देता था। उस दुखके अवसरपर दयाकी एक बूंद भी हमारे सूखते हुए कण्ठमें पड़ जाती तो उस दिन दुनिया, दुनिया रहती और हम मनुष्य बने रहते।

उस बूढ़ी भिखारिनने प्यास और भूखसे तड़प-तड़प कर प्राण दे दिए। बेचारी पानी पीने नदीकी ओर आ रही थी। चार कदम भी न चली होगी कि बेहोश होकर मुंहके बल पर गिर पड़ी। कई लोग उस राहसे आ-जा रहे थे, लेकिन किसीके हृदयमें उस तड़पते हुए सूखे गलेंको सींचनेकी दया न आई। उसके प्राण निकलते समयकी कराह सुनकर 'यह कैसा असगुन है!' कहकर एक बे-रहम इन्साननें मुंह फेर लिया और चलता बना। शौक, फैशन और राग-रंगकी आधुनिक सभ्यताके सुरीले रागालापको सुन-सुनकर मनुष्यके कानमें दीनका आर्तनाद कैसे पड़ता ?

अब मैं अकेला हो गया; किसीने मुझे नहीं अपनाया। वहाँसे उड़ता-फिरता अपनी राम कहानीको फैलानेका प्रयत्न करता रहा, पर मेरी बात सुननेके लिए संसारमें हृदय और कान हैं कहाँ? अपने उजड़े-जर्जर जीवनकी वाणीके तार बजाकर मैं अन्तिम संगीत गा रहा हूँ।

---

६. समाचारपत्र

१. समाचारपत्रका इतिहास।
२. भारत में समाचापत्रोंका प्रारम्भ।
३. वर्तमान समयमें समाचारपत्रका स्थान।
४. समाचार क्या है।
५. समाचारपत्रोंका भविष्य।

समाचारपत्रका जन्मस्थान इंग्लैण्ड है। १६ वीं शताब्दीमें इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति हुई। भापसे चलनेवाली गाड़ियाँ बनीं, आनागमन और व्यापार बढ़ा और देशके एक हिस्सेमें होने

वाली घटनाओंका ज्ञान दूसरे हिस्सेके लिए अनिवार्य हो गया। उसी समय छापनेकी मशीन भी वहाँ बनी और १७ वीं शताब्दीके प्रारम्भमें अखबार प्रकाशित होने लगे।

पहले-पहल समाचार-पत्रका यह रूप नहीं था जो आज है। पहलेके समाचार-पत्र मामूली समाचार भी बड़ी सजी हुई भाषामें लिखा करते थे। आकार-प्रकार और सजावटकी कल्पना भी अबसे बहुत भिन्न थी। उद्योगकी बढ़तीके साथ ही अखबार भी विकसित होते गए। अब भिन्न-भिन्न विषयोंको लेकर भी समाचार-पत्र निकलते हैं। पहलेके समाचार-पत्र प्रायः सभी साहित्यिक होते थे।

हमारे देशमें अँग्रेजोंके आनेके पहले समाचार-पत्र नहीं थे। पहला पत्र, जो इस देशमें निकला, सरकारी पत्र था। उसका नाम था 'इण्डिया गजट'। उसके बाद ईसाई पादरियोंने समाचार-पत्र निकाले। 'समाचार-दर्पण' इनमें मुख्य था। राजा राममोहन राय की 'कौमुदी' पहला भारतीय पत्र था। फिर धीरे-धीरे अनेक पत्र निकले। १८३५ में प्रेसकी स्वतन्त्रताकी घोषणा की गई। इस घोषणासे समाचार-पत्रोंकी प्रगतिमें बड़ी सहायता मिली। सबसे पहला हिन्दी समाचार-पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' था। इसे सन १८२६में जुगलकिशोर शुक्ल ने कलकत्ता से निकाला था।

आज प्रत्येक प्रान्तकी भाषामें अनेक समाचार-पत्र हैं, किन्तु भारतवर्ष के सबसे अच्छे समाचार-पत्र अभी भी अँग्रेजीमें ही हैं। आशा की जाती है कि राष्ट्र और राष्ट्रभाषा, प्रान्त और प्रान्तीय भाषाओंके विकासके साथ-साथ यह शिकायत दूर हो जाएगी। जहाँ १५—२० वर्ष पहले समाचार-पत्रोंके पाठकोंकी संख्या नगण्य थी, वहाँ आज मजदूर और किसानोंके हाथोंमें भी पत्र दिख जाते हैं। राजनैतिक जागृतिके युगमें पत्रोंका बहुत विकास हुआ और

आजादीकी लड़ाइयोंमें जनताके सामने सही-सही दृष्टिकोण पेश करनेके अपराधमें कितने ही पत्र-सम्पादकोंको कठिन कारावासका दण्ड दिया गया।

प्रजातन्त्रके जमानेमें पत्र और पत्रकारिताका बड़ा महत्व है। इसके द्वारा जनताका मत बनाया जा सकता है और बिगाड़ा जा सकता है। वह नागरिक-जीवनके अधिकारोंकी रक्षा करनेवाला जागृत प्रहरी हो सकता है, उसी प्रकार अफवाहों, झूठी खबरों और छद्म सिद्धान्तोंका प्रचार करके असत्य और अस्तेयका प्रचारक भी हो सकता है। एक वाक्यमें समाचार-पत्र प्रजातन्त्रकी सबसे बड़ी शक्ति है। वह सरकार और जनताके बीच निरन्तर सम्पर्क रखनेवाला सबसे बड़ा साधन है।

यह सच है कि समाचार-पत्रको जनताके सामने सच बात रखनी चाहिए और झूठका खंडन करना चाहिए; किन्तु यह अनेक कारणोंसे सम्भव नहीं होता। प्रायः राजनैतिक और धार्मिक दल अपने-अपने दृष्टिकोणके प्रतिपादन और प्रचारके लिए समाचार-पत्र निकालते हैं। एक ही खबर सब अखबारोंमें नहीं दी जाती। कुछ खबरें दी जाती हैं, कुछ छिपाई जाती हैं और कुछको अपने दृष्टिकोणसे बनाकर जनताके सामने उपस्थित किया जाता है। हमारे देशमें तो पत्र-सम्पादन बहुत ही क्रम रहित होता है। समाचार-पत्रोंका सम्पादन एक वैज्ञानिक विषय हो गया है; किन्तु निर्विशेष ज्ञानके बलपर या कहिए सर्वसामान्य अज्ञानके बलपर केवल राग-द्वेषसे प्रेरित होकर निकलनेवाले अखबारोंकी हमारे देशमें कमी नहीं है। यद्यपि आज हमारे अनेक पत्रोंके अपने विशाल मुद्रण-भवन हैं; नए ढंगकी लाइनो मशीन हैं, टेलीप्रिंटर हैं और प्रेस एजेन्सियाँ हैं, तथापि पत्रकारिताकी शिक्षाका लगभग

अभाव है। विदेशोंमें तो पत्रकारिताकी शिक्षाके बड़े-बड़े विद्यालय हैं। हमारे देशमें समाचार-पत्रोंके पाठक भी एक हद तक उदासीन हैं; अन्यथा अखबारोंके संचालकोंको ऐसी लापरवाहीसे अखबार चलानेका साहस न हो।

वर्तमान सभ्य संसारमें समाचार-पत्रके महत्वका अन्त नहीं है। पारस्परिक अविश्वास, प्रेमके अभाव और घृणाके प्रभावके इस युगमें सच्चे समाचार-पत्र और पत्रकार यदि चाहें तो बड़ा काम कर सकते हैं। अपनी एक पुस्तकमें समाचार-पत्रोंके भविष्यके सम्बन्धमें लिखते हुए श्री एच. जी. वेल्स ने कहा है—"सम्भव है कि निकट भविष्यमें समाचार-पत्रके रूप-रंग और अन्य तरीकोंमें महान परिवर्तन हो जाए; परन्तु यह सच है कि आज उसकी जितनी उपयोगिता है, उससे अधिक कभी भी न हो सकेगी। प्रचारकी दृष्टिसे आवागमनके साधनोंकी सुगमताके कारण यह सम्भव किया जाना चाहिए कि कुछ ऐसे निष्पक्ष अखबार निकलें जो संसार-भरके समाचार दें और आपसमें सद्‌भावनाका प्रचार करके ओछी प्रान्तीयता और गलत राष्ट्रीयताका अन्त करके मनुष्यको संसारका नागरिक बना सकें।"

---

७. बिजली की करामातें

१. बिजलीसे पहलेका युग।
२. प्रथम आविष्कार तथा आविष्कारक।
३. बिजली तैयार होनेके साधन।
४, बिजलीके आधुनिक उपयोग।

भापका जमाना बीत रहा है और बिजलीका युग तेजीसे आ रहा है : आशा है, ऐसा युग शीघ्र आ जाए जब सारे काम

बिजली द्वारा किए जा सकेंगे और भापका प्रयोग समाप्त हो जाएगा। प्राचीन कालमें बिजलीके विषयमें निश्चित ज्ञान न था। १८ वीं सदीमें डॉ. गिलवर्ट ने इस तत्वको समझनेका प्रयत्न किया और इसे 'इलेक्ट्रिसिटी' नाम उन्होंने दिया। १८०० ईस्वीमें सबसे पहले बोल्टा ने बिजली पैदा करनेकी बैटरी बनाई। सन् १८३३ में फैरेडे ने बिजली बनानेके लिए मैग्नेटो इलेक्ट्रिकका आविष्कार किया और सन् १८३७ में कुक और व्हीट स्टोन ने बिजलीके तारका आविष्कार किया।

१९ वीं सदीके मध्यमें इलेक्ट्रोप्लेटिंगका आविष्कार हुआ। लकवा तथा दूसरी बीमारियोंके उपचारमें डाक्टरने बिजलीका प्रयोग किया। १८७९ और १८८० ई. में बिजलीकी रोशनी चली और एडिसन ने इस विषयमें स्तुत्य प्रयत्न किया। सन् १८७५ में बेल ने टेलिफोनका आविष्कार किया और आज यह हर बड़े नगरमें सामान्य चीज बन गई है। इसके बाद गर्मी और ठण्डक पैदा करनेके लिए विद्युतका प्रयोग आरम्भ हुआ और साथ ही उसकी सहायतासे भोजन भी पकाया जाने लगा। गैस और कोयलेकी अपेक्षा बिजली अधिक प्रभावशालिनी और सस्ती सिद्ध हुई। सन् १८८४ में प्रीस ने बेतारका तार निकाला और १८९६ में मारकोनी ने उसका प्रदर्शन किया। इसने मनुष्यके जीवनमें नवीनता ला दी और आज बेतारका तार हर बड़े जहाजके साथ लगा रहता है, जो मुसीबतकी घड़ीमें उसका सबसे सच्चा साथी सिद्ध हुआ है। इसके बाद रेडियोका आविष्कार हुआ और अब हर बड़े नगरमें रेडियोसे भाँति-भाँतिके काम लिए जाते हैं। किसी-किसी देशमें तो पुलिसके सामान्य सिपाहियोंकी कलाइयोंपर भी छोटे-छोटे रेडियो-सेट लगे रहते हैं। अब बेतारका टेलीफोन

भी निकल आया है, जिसके द्वारा हजारों फुट ऊँचा उड़नेवाला हवाई जहाज भी धरतीवालोंके साथ सम्पर्क रखता है। अब तो टेलीविजन भी निकल आया है और अँग्रेज जाति इस विषयमें आश्चर्यजनक प्रगति कर रही है। ये लोग संसारमें जगह-जगह टेलीविजनके केन्द्र स्थापित कर रहे हैं। इसके द्वारा भारत में बैठा हुआ व्यक्ति न केवल न्यूयार्क के व्यक्तिसे बातचीत ही कर सकता है, अपितु बात करते समय उसकी शक्ल भी देख सकता है। टेलीविजनके चालू हो जानेपर हम अपने घरमें बैठकर हजारों मीलकी दूरीपर बोलनेवाले वक्ताओंके व्याख्यान सुननेके साथ-साथ उनकी सूरत भी देख सकेंगे।

अब बिजलीकी सहायतासे खेती होती है और मोटरें चलती हैं। कलकत्ता और बम्बई में बिजलीके सहारे रेल चलती हैं, जो सामान्य रेलगाड़ियोंकी अपेक्षा अधिक तेज चलती हैं। यूरोप तथा अमेरिका में अधिकांश रेलोंका संचालन विद्युत्से ही होता है और चारों ओर बिजलीका ही प्रकाश और प्रताप फैला दिखाई देता है।

संसारके प्रगतिशील राष्ट्रोंमें अब पानीसे बिजली बनाई जाने लगी है, जो काफी मात्रामें और अल्प व्ययसे प्राप्त हो जाती है। इसका उपयोग भी रेलों तथा उद्योगोंके लिए किया जाता है। भारत में अबतक तो जलविद्युतके उत्पादन-केन्द्र बहुत ही कम और छोटे थे; किन्तु अब स्वतन्त्रता-प्राप्तिके पश्चात् देशकी अपनी सरकारने इस दिशामें कई योजनाएँ बनाई हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है, जिससे अधिक-से-अधिक घरोंमें विद्युतका प्रसार हो और उद्योगादिको भी सस्ती बिजली मिल सके।

बिजलीसे कई अनोखे-अनोखे काम होते हैं। इससे ट्रामें चलती हैं, रेलें चलती हैं, मोटरें दौड़ती हैं, मकान आवश्यकतानुसार

गरम और ठंडे किए जा सकते हैं सैकड़ों प्रकारकी कलें चलती हैं। यह हमारे कपड़े साफ करती, खाना पकाती है और घरोंकी सफाई तक करती है। जहाज चलते हैं, कुएँ और नहरें खुदती हैं तथा बाँध बाँधे जाते हैं। रेडियो और टेलीविजनने सारे संसारको एक परिवार-सा बना दिया है। सारांश यह कि विद्युत्से हमें इतनी अधिक सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं कि वह हमारे जीवनमें घुल-मिल गई है, जीवनका एक आवश्यक अंग बन गई है और संसारके लिए इसकी आवश्यकता अनिवार्य-सी हो गई है।

देखें आगे बिजली और क्या-क्या करामातें दिखलाती है।

---

८. गाय की आत्म-कथा

१. गाय का जन्म।
२. मनुष्य और पशुओंका भेद।
३. गाय के साँसारिक अनुभव।
४. उपसंहार—मानव सम्बन्धी गायके विचार।

पृथ्वीपर पैर रखते ही आनन्दके आवेगसे, एक विचित्र स्फूर्तिसे मेरा हृदय भर गया। मैं अच्छी तरह खड़ी नहीं हो सकती थी, अच्छी तरह देख भी नहीं सकती थी; पर मेरे सामने मेरी स्नेह-मयी माँ खड़ी थी। उसकी स्नेह-स्निग्ध दृष्टि मेरे शरीरपर मानो अमृत-वृष्टि कर रही थी और स्नेहयुक्त स्पर्शसे मुझमें एक नई शक्ति-सी आ रही थी। वह जीभसे मुझे चाट रही थी। उस दिन यह पृथ्वी मुझे कितनी सुन्दर जान पड़ती थी! हरा-भरा वन, नीला आकाश, डूबते हुए सूर्यकी कोमल किरणें शीतल-मन्द पवन—मुझे ऐसा जान पड़ता था कि सारा संसार मेरा स्वागत

कर रहा है। हर्षसे गद्‌गद् होकर चिल्ला उठी--'माँ!' और माँने भी आनन्दसे विह्वल होकर उत्तर दिया--'बेटा!'

मनुष्योंको अपनी भाषाका गर्व है। वे लोग दिन-रात न जाने क्या-क्या कहते रहते हैं। पर हम लोगोंकी भाषामें एक ही शब्द है और वह है 'माँ'। दुख और संकटमें इसी शब्दसे हमें आश्वासन मिलता है और आनन्दमें इसीसे हमारा हर्ष प्रकट हो जाता है। न जाने क्यों तुम लोगोंको इतने शब्दोंकी आवश्यकता है। जन्मसे लेकर मृत्यु तक हमें तो केवल एक शब्द चाहिए--'माँ!'

तुम लोग मनुष्य हो और हम लोग पशु हैं। तुम्हें अपनी बुद्धिका गर्व, शक्तिका अभिमान है।। इसी अभिमानसे तुमने ईश्वरकी इस पृथ्वीको अपनी पृथ्वी बना डाला है। अपने तुच्छ स्वार्थके लिए तुम संसारके अन्य किसी भी प्राणीके सुख-दुखकी परवाह नहीं करते। जो तुम्हारे सुखके साधन नहीं हैं, उन्हें नष्ट करनेमें तुम्हें जरा भी संकोच नहीं होता। पर सच बतलाओ, इतना सब कुछ करनेपर भी क्या तुम सुख पा सके हो? अपने जन्म-दिनसे ही मुझे तुम्हारी इस शक्तिका पता लग गया। मैं खड़ी-खड़ी अपनी माँको देख रही थी कि एक मनुष्य आया और उसने मुझे अपनी गोदमें उठा लिया। मुझे कुछ आश्चर्य हुआ और कुछ भय भी लगा। मैंने अपनी माँकी ओर देखा और पुकारकर कहा--'माँ'! माँके उत्तरसे मुझे आश्वासन मिला! मैं चुप रह गई और यह मनुष्य मुझे उठाकर अपने गाँवकी ओर ले चला। मेरी माँ पीछे-पीछे दौड़ती हुई आने लगी। राहमें कितने ही लोग मिले और सभीने मुझे बड़े प्रेमसे देखा। कुछ ही देर बाद वह आदमी मुझे एक घरके भीतर ले गया। वहाँ मुझसे बड़े कई और बछड़े

थे। मुझे वहीं छोड़कर वह बाहर चला गया। मेरी माँ आ गई थी, इसलिए मुझे कुछ भी भय नहीं मालूम हुआ। कुछ थकावट-सी अवश्य मालूम होने लगी; अतः मैं सो गई।

कुछ ही दिनोंके बाद मैं मनुष्य-संसारसे परिचित हो गई। तब मुझे मालुम हुआ कि अपनी माँके दूधपर एकमात्र मेरा अधिकार नहीं है। उसपर पूरा अधिकार है घरके स्वामीका। मुझे तो दूधका बहुत थोड़ा अंश मिलता था। वह इतना कम था कि मेरी तृप्ति नहीं हो पाती थी। मेरी माँको प्रतिदिन ग्वाला चराने ले जाता था। मैं घरमें अकेली बैठी रहती थी। ठीक शाम हो जानेपर वह घर आती थी। मैं दूरसे ही उसकी आवाज पहचान लेती थी। उसके आते ही मैं लपककर उसके पास जानेकी चेष्टा करती थी, पर वह ग्वाला मुझे मेरी माँके पास बाँध देता था और मेरे देखते-ही-देखते सारा दूध दुह लेता था। कुछ थोड़ा-सा दूध वह छोड़ जाता था। मुझे उतनेमें ही सन्तोष कर लेना पड़ता था।

इस तरह मेरे बचपनके दिन बीत गए। कुछ बड़ी होनेपर मैं भी अपनी माँके साथ बाहर जाने लगी। मैंने देखा कि पासमें ही हरा-भरा खेत था। हम लोग उसके भीतर नहीं जा सकते थे। एक बार मुझसे न रहा गया। और सब गाएँ तो नदीके किनारे चर रही थीं, पर मैं सबकी आँख बचाकर खेतके भीतर घुस गई। कुछ ही देरके बाद एक आदमी लाठी लेकर मेरे पीछे दौड़ा। मैं भागी, पर घबराहटके कारण मैं राह भूल गई। वह आदमी निर्दयतापूर्वक मुझे पीटने लगा। आखिर बड़ी मुश्किलसे मैं बाहर आई और भागती-भागती गायोंके दलमें मिल गई। तब मुझे मालुम हुआ कि संसारकी किसी चीजपर हम लोगोंका

अधिकार नहीं है। मनुष्य जो कुछ हमें दे उसीपर हमें सन्तोष करना चाहिए। वर्षा हो या धूप, जहाँ वह ले चले वहाँ हमें जाना चाहिए। सूखी घास हो या भूसी, जो कुछ वह दे, हमें खाना चाहिए। हमारा सारा जीवन एक मात्र मनुष्यकी कृपापर निर्भर है।

मैं अब अपनी माँसे बहुत अलग-अलग रहने लगी थी। कुछ दिनोंके बाद मैं अपनी माँको गायोंके दलमें खोजनेपर भी न पा सकी। मालूम हुआ कि उसको हम लोगोंके स्वामीने किसी दूसरेके हाथ बेच दिया और वह दूसरे गाँव चली गई। इस तरह माँसे मेरा सम्बन्ध बिल्कुल ही टूट गया। मैं अब दूसरी गायों और बैलोंके साथ रहने लगी। एक दिन एक अपरिचित आदमी आया और मुझे रस्सीसे बाँधकर कहीं ले जाने लगा। मैं भयसे चिल्लाने लगी, रस्सी तुड़ाकर भागनेकी चेष्टा करने लगी; पर मेरे सब प्रयत्न विफल हुए। उस आदमीने दो-तीन बार मुझे इसी कारण खूब पीटा। मैं समझ गई कि मैं इसीके हाथ बेच दी गई हूँ। अब मुझे इसके साथ जाना ही पड़ेगा। चुपचाप उसीके साथ चलने लगी। कुछ समयके बाद मैं एक दूसरे ही कोठेमें ले जाकर बाँध दी गई।

समय जाते देर नहीं लगती। कुछ ही दिनोंमें वह नया स्थान मेरे लिए पुराना हो गया और मैं अपने जन्म-स्थानको भूल-सी गई। फिर मैं स्वयं माँ हो गई। मेरा एक सुन्दर बछड़ा हुआ। संसारका हाल मैं देख चुकी थी, इसलिए जब ग्वाला मेरा दूध दुहकर खुद ले जाने लगा, तब मैं भी चुपचाप उसका यह अत्याचार सहने लगी। मैं जानती थी कि हमें तो अपने जीवनपर, अधिकार नहीं है, हम तो केवल मनुष्योंके सुखके साधन हैं। वे हमारे दूधसे दही, घी, मक्खन, मिठाई तथा अन्य चीजें बनाकर उनका उपभोग

करते हैं। हमारे बच्चे--बैल उनके खेत जोतते हैं और सामान ढोते रहते हैं। जीवनभर हम लोग उन्हींकी सेवामें निरत रहते हैं। मरनेपर भी हमारे चमड़े, हड्डी, खुर और सींग सभी चीजें उनके काममें आते हैं। कुछ लोग तो हमें मारकर खा भी जाते हैं। यही हम लोगोंका जीवन है।

हम लोग तो पशु हैं, हममें सोचने-समझनेकी शक्ति नहीं है। पर तुम तो मनुष्य हो। तुममें बुद्धि है, विवेक है और ज्ञान है। तुम्हीं बताओ इस जीवनका क्या उद्देश्य है; विधाताकी सृष्टिका क्या रहस्य है? सशक्त निर्बलोंके आसरे क्यों जीवित रहते हैं?

विवरणात्मक निबन्धोंकी रूपरेखाएँ--

१. अशोक

हमारे झण्डेके बीचमें अंकित चक्र--अशोक चक्र। अशोक की लाटोंपर खुदे चक्रोंकी आकृतिपर बना हुआ। क्यों? शान्ति, युद्ध-विरोधिता और अहिंसा-धर्मका प्रतीक। क्यों? अशोक के कारण।

अशोक का जन्म ईसवी सन्से पहले। मौर्य वंशमें। मगध के राजा बिन्दुसार उनके पिता और चन्द्रगुप्त मौर्य दादा थे। पिताके मरनेपर गद्दी मिली। जनश्रुति--सिंहासनपर बैठते ही ९९ भाइयोंका वध। पर कहीं ऐतिहासिक उल्लेख नहीं।

साम्राज्य--हिमालयसे सतपुड़ा पहाड़ों तक और हिरातसे उड़ीसा (कलिंग) तक।

स्वभाव---जवानीमें युद्ध-प्रिय। शासनके नवें वर्षमें कलिंग-विजय (उड़ीसा जीतने) के लिए युद्ध-यात्रा। इस युद्धमें बहुत-सी सेना नष्ट। लगभग एक करोड़ लोग मारे गए। हृदय द्रवित हो उठा। अनुताप। राज्य-विस्तारकी वासनाको तिलांजलि।

हृदय-परिवर्तन। बौद्ध मतके अनुयायी भिक्षुओंका उपदेश सुनकर बौद्ध धर्ममें दीक्षित। युद्धसे घृणा और शान्तिप्रियता ही शेष जीवनका इतिहास। एशिया के करोड़ों लोगोंके धार्मिक विश्वासों, नैतिक आदर्शों और रूढ़िगत संस्कारोंपर अशोक के इस हृदय-परिवर्तनका अमिट प्रभाव।

राज सभाका अकथ वैभव और ऐश्वर्य। मेगास्थनीज के वर्णन (चन्द्रगुप्त की राजसभाके वर्णन) में इसकी झलक। आरम्भमें एकतन्त्र शासकोंकी तरह हठी, निर्दय, क्रूर।

२६० ई० पू० में बौद्ध भिक्षु हो गए। पर साम्राज्य को भी सम्हालते रहे। बौद्ध धर्मको राज-धर्म बनाया।

प्रत्येक तीसरे वर्ष धर्मके विभिन्न अंशोंकी विवेचनाके लिए संगति। चोल, पांडच, सिंहल, नेपाल, काश्मीर, तिब्बत, मिस्र, मकदूनिया, एपिस, सीरिया, आदिसे भिक्षु-भिक्षुणियों द्वारा सांस्कृतिक सम्पर्क। "प्राणियोंके ऋणसे उऋण होना......" "धर्मकी विजय......." ही सम्राट् के मतमें सबसे बड़ी विजय है।

साम्राज्य व्यापिनी शान्ति, सुव्यवस्था और सम्पन्नता।

कौटुम्बिक जीवन---इतिहासकी जानकारी सीमित। जन-श्रुतिमें, तिष्यरक्षिता (पत्नी) और कुणाल (पुत्र) की चर्चा। भाई महेन्द्र---सिंहल में बोधिवृक्षकी शाखाके साथ धर्म-प्रचारक

के रूपमें भेजे गए। दूसरी पत्नी, कुँवर और पोते दशरथ का शिला-लेखोंमें उल्लेख।

बौद्ध धर्मके प्रचारके लिए देश-देशमें बौद्ध भिक्षु भेजे। सारे भारत में अनेक बड़ी-बड़ी लाटें खड़ी करके नैतिक और धार्मिक उपदेश शिलाखंडोंपर खुदवाए। दया और परोपकार—इन लेखोंका सार।

प्रजाके हितके अनेक कार्य। जलाशयों, सड़कों, धर्मशालाओं आदिका निर्माण। राज्यभरमें इनका जाल-सा बिछा दिया।

अपने युग और इतिहास पर अमिट छाप। लंका, बर्मा, चीन, मंगोलिया, भारत आदिमें बौद्ध धर्म, भारतीय संस्कृति और सद्भावनाके विस्तारका बहुतांश श्रेय।

ईसा पूर्व २६९ (कोई-कोई २७३ बताते हैं) से लेकर चालीस वर्षों तक राज्य किया। 'देवनांपिय पियदटिस' अर्थात् 'देवताओंके प्रिय प्रियदर्शी' की उपाधि।

शेष जीवन—संन्यास।

भारत के शासकोंमें सर्वश्रेष्ठ। शान्ति और युद्ध-विरोधिताकी नीतिमें संसारके पिछले युगोंके शासकोंमें अद्वितीय। प्रेमसे विश्व-विजयके उदाहरण।

---

२. रवीन्द्रनाथ ठाकुर

हमारे राष्ट्रगीत "जनगणमन अधिनायक जय हे!" के कवि की चर्चा छिड़ते ही विदेशी जिन दो हिन्दुस्तानी व्यक्तियोंके नाम लेते हैं, उनमें एक हैं, कविगुरु श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर और दूसरे गांधीजी। गुण और परिणाम, दोनों ही दृष्टियोंसे भारतीय

वाङ्मयको इनकी सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक देन। दुनियाके शायद ही किसी और साहित्यकारने इतना अधिक और फिर भी इतना सुन्दर लिखा हो। महान कवि, ब्राह्मनेता, समाज-सुधारक, देशभक्त और शिक्षक।

देशके अन्दर भी राजनैतिक कारणोंसे गांधीजी को नापसन्द करनेवाले या निन्दा करनेवाले मिल भी जाएँ, पर कवीन्द्र-रवीन्द्र के लिए सभीके दिलोंमें श्रद्धा।

जन्म १८६० ई० में कलकत्ते के जोड़ासाँकू के विख्यात ठाकुर-परिवारमें। अपार सुख-श्री। पिता बड़े जमींदार, बड़े पण्डित, मान्य ब्राह्मनेता, ब्राह्म-समाजमें वेदान्ती विचारों एवं राष्ट्रीय भावनाओंके प्रवर्तक-प्रतिष्ठापक। राजसी लालन-पालन। विद्या-व्यसन और ज्ञान-चर्चाका वातावरण; पर आजादीका अभाव। नौकरोंकी लगातार चौकसी। पिता घुमक्कड़ और चिन्तनशील दार्शनिक प्रकृतिके। उनके साथ बालक रवीन्द्र का भी खूब पर्यटन। माँ बचपनमें ही मरीं। स्कूली शिक्षाकी ओरसे उदासीनता ही नहीं, वितृष्णा भी। किसी-न-किसी बहाने कन्नी काटते फिरते। घरपर ही बंगला, संस्कृत और अँग्रेजीका अभ्यास।

भाइयोंमें सबसे छोटे। सभी भाई खूब पढ़े-लिखे और गाने-बजानेके बड़े शौकीन। रवीन्द्र भी छोटी उमरसे ही रसिक। मीठे गलेसे मोहक गाने। कवितामें अभिरुचि। आठ वर्षकी उमरसे ही कविताएँ रचने लगे। घरसे ही प्रकाशित "भारती" पत्रिकामें 'निशीथ' नामकी बड़ी ही सुन्दर कविताका छुटपनमें ही प्रकाशन। अन्य रचनाएँ भी प्रकाशित।

तेईस वर्षकी उमरमें विवाह। फिर पिताकी आज्ञासे जमींदारीकी देखभालका कार्य। ख्यातिका तेजीसे फैलना। अपनी कविताओंका अँग्रेजीमें अनुवाद। विश्व-पर्यटन। कई बार विदेश-यात्राएँ। इन यात्राओंका सिलसिला लड़कपनसे बुढ़ापे तक जारी।

पहला ग्रन्थ "सांध्य-संगीत"। "प्रभात-सगीत" में रवीन्द्र का विश्व-बोध। सर्वानुभूतिका आवेग। अंतःकरणकी तीव्र उत्सुकता। व्याकुल कल्पना।

रचनाओंका दुनियाकी प्रायः समस्त उन्नत भाषाओंमें (और कितनी ही अनुन्नत भाषाओंमें भी) अनुवाद। विलायतमें अपने ही द्वारा अनूदित "गीतांजलि" पर १९१२ ई० में एक लाख बीस हजारका "नोबल पुरस्कार"। फिर तो सारे संसारमें, नाम। गद्य-पद्य, काव्य-नाटक, कहानी-उपन्यास, यात्रा-वर्णन, प्रहसन, जीवनियाँ, आन्दोलनात्मक पुस्तिकाएँ, धार्मिक-दार्शनिक सिद्धान्तों-की आलोचना, सामाजिक विवेचना आदि प्रत्येक विषयपर साहित्यिक रचनाएँ। सब-की-सब उच्च कोटिकी।

बंगला भाषाका संस्कार। हर क्षेत्रमें नई शैलीको अपनाया। कविताओंमें राष्ट्रकी नव जाग्रत आत्माका स्वर। प्रायः दार्शनिक। साहित्यको दर्शनका गौरव एवं दर्शनको साहित्यका लालित्य प्रदान किया। संगीतमें भी नई शैलीका जन्म। "रवीन्द्र-संगीत" में प्राच्य और पाश्चात्य संगीत-कलाका अनोखा एकीकरण।

बाल्य-कालमें १७ वर्षकी उमरमें एक वर्ष तक यूरोप-प्रवासमें गुरु जॉन मोर्ले से प्राप्त ज्ञानका भारत को दान। कवित्व विकसित होनेपर यूरोप को भारत का सन्देश। कवि प्रकृति, तपस्वी प्रकृति, भोगी प्रकृति और त्यागी प्रकृतिका अपूर्व समन्वय।

चंडीदास, विद्यापति, कबीर और चैतन्यका भी प्रभाव। ३५ वर्षकी अवस्था तक सात्विक प्रेमके कवि। संग्रह–"मालाकार।" १८९५ में पत्नीकी मृत्युके बाद सन्त कवि। "गीतांजलि"। कर्मयोगी मनीषी कवि। विश्वप्रेम।

शान्ति-निकेतन और श्री-निकेतनकी स्थापना। नोबल पुरस्कारके धनका इन्हीं संस्थाओंको दान। प्राच्य विद्याओंके अध्ययनका श्रेष्ठतम मन्दिर। कविगुरुके स्वप्नोंका रूप। भारत का साहित्य तीर्थ, कला-तीर्थ। "रवीन्द्र-साहित्य", "रवीन्द्र-संगीत" चित्र-कला (गुरुदेव स्वयं भी चित्र बनाते थे, जो उनकी अपनी ही विलक्षण शैलीमें होते थे), नृत्य-कला आदि ललित कलाओंका बेजोड़ गुरुकुल। शांति-निकेतन के विभिन्न "भवन"।

राजनीतिमें प्रगतिपन्थी। 'सर'की उपाधिका त्याग। मुसोलिनीके मेहमान रहते हुए भी फासिस्टवादका तीव्र विरोध। जापानी सैन्यवादका विरोध—सामुराइयोंके चारण जापान के महाकवि योन नागुची को लिखा ऐतिहासिक पत्र। सोवियत-क्रान्तिके प्रशंसक "राशियार चिठि" ("रूसकी चिट्ठी")। चीनके लिए अगाध प्यार। शान्ति-निकेतन का ' चीनी भवन"। गांधीजी और राष्ट्रीय आन्दोलनके समर्थक तथा प्रगतिशील आलोचक भी।

पत्र-सम्पादन—"बालक", "विश्व-भारती", "साधना", "बंग-दर्शन", "प्रवासी" का 'संकलन' स्तम्भ। वक्ता। व्याख्यानोंका संग्रह "साधना"।

व्यक्तिगत जीवन सुख-सुविधासे पूर्ण होते हुए भी पारिवारिक शोकोंसे भरा हुआ।

"जीवनेर खर स्रोते भासिछ सदाइ
भुवनेर घाटे-घाटे।"

एकि हाटे लओ बोझा, शून्य करे दाओ
अन्न हाटे ।"

अस्सी वर्षोंके दीर्घ एवं परिपूर्ण जीवनके बाद ८ अगस्त, १९४१ के दिन "काली छाया फेले एलो माटिर दूत" (काली छाया डालता मिट्टीका दूत आया) और 'आगलेर औदर आगल" लगाए बैठे "प्राणपुरुष" को बुला ले गया, रह गई उसकी "रूपवाणी"।

"जन्मे लिए ऐसे छिले मृत्युहीन प्राण
मरने ताहाइ तुमि करे गेछ दान"।

---

३. गांधीजी

'महात्मा', 'युगपुरुष', 'राष्ट्रपिता' आदि नामोंकी सार्थकता। महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी देशके आत्म-विश्वास, आत्म-सम्मान तथा सत्य और अहिंसाके सिद्धान्तोंके मूर्तिमान प्रतीक।

जन्म २ अक्टूबर, १८६९ को काठियावाड़ प्रदेशके पोरबन्दर राज्यमें। पिता, करमचन्द गांधी उर्फ 'काबा गांधी' पहले राजकोट के और फिर बाँकानेर के दीवान रहे। उन्हींकी चौथी पत्नी पुतलीबाई के सबसे छोटे पुत्र हमारे चरित्र नायक।

रूढ़िगत धार्मिक विचारों एवं संस्कारोंसे भरा घरेलू वातावरण। माता व्रतों-उपवासों और पूजा-पाठमें लीन। माताजीका प्रभाव गाँधीजी पर, जिसे मुक्त कण्ठसे वे स्वीकार करते। कुटुम्बका धर्म वैष्णव धर्म। इस धर्मका मूल मन्त्र

अहिंसा। इसलिए आगे चलकर अहिंसाको गांधीजी के कार्यक्रममें इतना महत्वपूर्ण स्थान।

लड़कपनमें मन्द बुद्धि, संकोची और लज्जालु। पोरबन्दर और राजकोट में प्रारम्भिक शिक्षा। तेरह वर्षकी उमरमें ही ब्याह। 'सत्यके प्रयोग' नामक आत्मकथामें गांधीजी ने उस समय के आसक्ति-प्रमुख संस्मरण दिए हैं।

१८८७ में बैरिस्टरी पढ़ने विलायत को। जातिसे निकाले गए। १८९१ में राजकोट में वकालत विफल। सहायक वकीलके रूपमें अफ्रीका गए। नैटाल के कटु अनुभव। राजनीतिक भावना-ओंका जग उठना। वर्ण-भेद काठियावाड़ के मुकाबलेमें कहीं अधिक तीव्र। भारतीयोंका अपमान। काला होना लाँछन।

नैटाल सरकारका बिल--भारतीयोंके नागरिक अधिकार छिन रहे थे। नवागन्तुक भारतीयोंपर नियन्त्रण रखनेकी व्यवस्था हो रही थी। इस बिलके विरोधमें भारतीयोंको संगठित किया। संगठनके कामने जोर पकड़ा और १८९४ में नैटाल इण्डियन काँग्रेसकी स्थापना। एक हजार हस्ताक्षरोंका प्रार्थना-पत्र। (लार्ड रिपन के नाम)।

१८९६ मे भारत लौटे। भारत के नेताओंके सामने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयोंका प्रश्न पेश किया। लौटकर आठ सौ भारतीयोंके साथ डरबन बन्दरगाहमें २३ दिन बन्दी, उतरनेपर गोरोंका आक्रमण। पुलिस-अफसरकी पत्नीने उनकी रक्षा की।

बोअर युद्धमें और जुलू-विद्रोहके समय स्वयंसेवकोंसे ब्रिटिश सरकारकी सहायता। युद्धके बाद आश्रमकी स्थापना और 'इण्डियन ओपीनियन' का प्रकाशन। १९०६ में ट्रान्सवाल का काला कानून पास। तीन हजार भारतीयोंका सत्याग्रह। गिरफ्तारियाँ। समझौता।

भारतीय विधिसे किए गए विवाहोंकी अस्वीकृतिके विरोधमें, फिर सत्याग्रह। अनेक सत्याग्रहियोंके साथ कैद। भारत-सरकार की मध्यस्थता। समझौता और रिहाई।

नया कार्यक्षेत्र भारत। चम्पारन के नीलहे गोरोंके विरुद्ध सफल सत्याग्रह। खेड़ा में लगान माफ करानेके लिए सत्याग्रह में फिर सफलता। इस सफलताके परिणामस्वरूप भारतीय राजनीतिमें स्थान। रौलट ऍक्ट के भुलावेके खिलाफ देशव्यापी आन्दोलन। ६ अप्रैल, १९१९ को सत्याग्रहकी घोषणा। जलियाँवाला बागका हत्याकाण्ड। लोग बिगड़े। गांधीजी ने आन्दोलन बन्द कर दिया।

खिलाफत आन्दोलन। १९२० में असहयोग और खादी-आन्दोलनोंका सूत्रपात। १९२२ में कैद। गिरते स्वास्थ्यके कारण रिहा। १९२४ में दंगा। २१ दिनोंका उपवास। १९२७ में साइमन कमीशन। विरोधी प्रदर्शन। १९३० में नमक-कानूनके विरुद्ध सत्याग्रह। डांडी यात्रा। घोर दमन। १९३१ की मार्चमें समझौता। गोलमेज-सम्मेलनमें काँग्रेसके प्रतिनिधि। लन्दन से निराश वापस। फिर आन्दोलन। यरवदा में कैद। दमन चक्र। अछूतोंके पृथक निर्वाचनके विशेषाधिकारका साम्प्रदायिक निर्णय। विरोधमें आमरण उपवासका व्रत। नेताओंमें हलचल। पृथक् निर्वाचन रद्द।

हरिजन-आन्दोलन। काँग्रेससे अलग रहकर संचालन। ग्राम-सुधारका लक्ष्य। १९३५ की सुधार-योजना। प्रान्तीय शासन हाथमें लेनेकी काँग्रेसको सलाह। फिर उपवास द्वारा देशी-रियासतोंकी ओर लोगोंका ध्यान खींचा। दूसरे विश्वयुद्धमें भारत को अँग्रेजोंने जबरदस्ती शामिल कर दिया। विरोधमें मन्त्रिमण्डलोंके

इस्तीफे। "व्यक्तिगत सत्याग्रह"। जेलें भर गईं। क्रिप्स मिशन। "भारत छोड़ो' प्रस्ताव। ८ अगस्त १९४२ की बम्बई-बैठक। गांधीजी का नेतृत्व स्वीकृत। अगले ही दिन देशव्यापी गिरफ्तारियाँ। दमन-चक्र। भीषण प्रतिक्रिया। रेल-तार तोड़ना। सरकारी कागज-पत्र जलाना। सरकार भी बे-लगाम हो उठी। छह-सात महीनोंके बाद फिर शान्ति। जेलमें कस्तूरबा (पत्नी) और महादेव देसाई (निजी सचिव) की मृत्यु। नेताओंकी रिहाई।

१५ अगस्त '४७। देशके टुकड़े। गांधीजी बँटवारेके सवालपर काँग्रेस नेताओंसे सहमत न थे। गांधीजी की न मानी गई। दंगे। पंजाब, नोआखाली, बिहार....भयंकर रक्तपात। लाखों बेघर। नोआखाली की पैदल यात्रा। आग बुझने लगी। साम्प्रदायिकतावादी हिन्दुओंके षड्यन्त्रसे ३० जनवरी, १९४८ की शामको गांधीजी की हत्या। राष्ट्रीय शोक।

युगकी विभूति और महामानव।

गांधीजी के जीवनसे शिक्षा। अन्याय और असत्यका निर्भीक होकर मुकाबला करो। मानव-मानव भाई। सचाईकी अपार शक्ति। जुलमको बरदास्त करना पाप।

---

४. दूसरा विश्व-युद्ध

१९१४–१९१८ प्रथम महायुद्धके उपसंहारमें ही दूसरे महायुद्धके बीज। जर्मनीके साथ शान्ति-सन्धिकी शर्तें—प्रतिशोध-वादकी जननी। फासिस्टवादका उदय। अबीसीनिया पर इटली की चढ़ाई। १९३३ में जर्मनी में राजशक्तियाँ हिटलर के हाथोंमें आ जाना। म्यूनिख का विश्वासघात।

हिटलरशाहीकी वेदीपर मध्य यूरोपके देशोंका बलिदान। चेम्बरलेन-पन्थियोंकी चालें। पोलैंड पर हिटलर का आक्रमण। युद्धमें पश्चिमी देशोंके साम्राज्यवादियोंका पड़ना। संयुक्त होकर फासिस्टवादका मुकाबला करनेकी योजनाओंका भीतर-ही-भीतर घात। साम्राज्यवाद अपने खोदे कुएँमें आप गिरने लगा। इंग्लैण्ड झिझकता-ठिठकता-सा मैदानमें। पोलैण्ड का बलिदान। फ्रान्स के नेताओंकी गद्दारी। इंग्लैण्ड में नई सरकार।

पर्ल बन्दरगाह। जापान के मनसूबे। "एशिया एशियाइयोंके लिए" के नारेकी पोल। अमरीका मैदानमें। फासिस्टोंका त्रिगुट "धुरीराष्ट्र"। विरोधी—"मित्र-राष्ट्र"।

२२ जून, १९४१ को नात्सी जर्मनी का (लड़ाई छिड़नेके दो बरस बाद) अनाक्रमण-सन्धि भंग करके सोवियत-संघपर हमला करना। सोवियतवालोंका पीछे हटते जाना। लेनिनग्राद का तीस महीनोंका घेरा। स्तालिनग्राद की लड़ाईसे युद्धके पाँसेका पलटना।

पश्चिममें "दूसरा मोर्चा" खड़ा करनेकी माँग। टाल-मटूलकी चालें। उत्तरी अफ्रीका, यूनान और इटली में लड़ी गई लड़ाइयोंका हाल; मोर्चेकी इस टेढ़ी गतिके पीछे मित्र-राष्ट्रोंके बीच आपसके शतरंजी दाँव-पेंच।

बर्लिन पर लाल झण्डा। यूरोप में लड़ाईका अन्त। जर्मनी का बँटवारा। फ्रान्स में राजनीतिक परिवर्तन। "माकी" छापामार। पूर्वी यूरोप में लाल फौजकी सबल बाँहकी छाँहमें क्रान्तियाँ।

जापान का कमजोर और अकेला पड़ जाना। बर्मा, हिन्देशिया, हिन्दचीन, फिलीपाइन और चीन की जनताकी बहादुरी। आठवीं रूट सेना, वियतमिन्ह सेना, हुकबालाहाप आदिके कारनामे। सोवियत संघ की लाल फौजका जापान विरोधी युद्धमें उतर पड़ना।

मंचूरिया की मुक्ति। युद्धके नक्शेका नए सिरेसे बदलने लगना। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमरीका द्वारा परमाणु बमसे बमबारी। भीषण परिणाम, अगणित विभीषिकाएँ।

शक्तियोंके सन्तुलनमें आमूल परिवर्तन। नई साम्राज्य-विरोधी शक्तियोंका उदय। एशिया का नव जागरण। अनगिनती बलिदानोंके बावजूद सोवियत-संघ का प्रथम श्रेणीकी शक्तिके रूपमें उभर आना।

नर-संहार। धन-क्षय। साम्राज्य लिप्सा और बाजारोंकी छीना-झपटीके कारण युद्ध। धनतान्त्रिक व्यवस्थाका अनिवार्य परिणाम।

द्वितीय विश्वयुद्ध और भारत। अँग्रेजोंकी जबर्दस्ती—भारतको बिना पूछे ही युद्धमें सम्मिलित कर लेना : भारतीय जनताका विरोध। काँग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह। मजदूरोंकी आम हड़तालें। हमारे देशपर युद्धका प्रभाव। अभाव, महँगाई, अकाल। बंगालके अकालमें पचास लाख लोग मरे। महामारियाँ। चटगाँव, मणिपुर, कॉक्स बाजार, सिलचर आदिमें व्यापक रूपसे आतशक (उपदंश) की महामारी। अमरीकी सैनिकोंके अनाचार। '४२ का आन्दोलन। युद्ध-समाप्तिके पाँच-छह साल बाद तक ('५१ तक) भी देशकी आर्थिक स्थितिका सम्भल न पाना। पूर्वके मुकाबलेमें आज भी जीवन-मानका पँचगुना होना और रुपएकी क्रय-शक्तिका एक-छठे स्तर पर बना रहना।

नए युद्धकी तैयारियाँ। 'आणविक' और 'उदजन' शस्त्रास्त्र। कीटाणु-युद्ध और गैस-युद्धकी सम्भावनाएँ। युद्धकी शक्तियाँ और शान्तिकी शक्तियाँ। शान्तिके पक्षवालोंका

आन्दोलन। मानव-जाति का अधिकांश युद्ध-विरोधी। मुट्ठी-भर लोगोंका स्वार्थ। अमरीका-जैसे धनतान्त्रिक देशोंकी युद्धमूलक अर्थनीति। वाल स्ट्रीटके सौदागरोंके व्यापारका दारोमदार-युद्धपर। उनका व्यापक प्रभाव। संयुक्तराष्ट्र ही नहीं, राष्ट्रसंघ तकमें उन्हींका बोलबाला।

नेहरू-सरकारकी युद्ध-विरोधी नीति। कल्याणकारी नीति; फिर भी इस नीतिके अन्तर्विरोधोंका दूर किया जाना आवश्यक, ताकि तृतीय विश्व-युद्ध छिड़ने न पाए और द्वितीय विश्व-युद्धकी विभीषिकाओंकी पुनरावृत्ति न हो।

---

५. विज्ञानके आविष्कार

आविष्कारका महत्व। युग परिवर्तनकारी। रहन-सहन, आचार-विचार, सभ्यता-संस्कृति, मानव-सम्बन्धों और मानव-भावनाओं तकको बिलकुल ही नई एवं अप्रत्याशित दिशामें मोड़ देनेवाले।

पदार्थ-विज्ञानके क्षेत्रमें। भापकी शक्ति, जेम्स वाट। रेल-गाड़ियाँ। अन्य इंजिन। बिजली तारघरको, बिजलीकी रेल-गाड़ियाँ, रोशनी, पानी बिजलीसे चलनेवाले भीमकाय कारखाने-जल-विद्युत ईथरमें प्रवाहित बिजली—इस विद्युततरंगकी गति आलोक-तरंगोंकी गतिकी तरह वेगवती—१,८६,००० मील प्रति सेकण्ड। बेतारके तार (इटली, ई०पू० युगमें ही, अत्यन्त भद्दे रूपमें ही सही, आविष्कृत)। २० वीं सदीके आरम्भमें इटली में ही इसका आधुनिक रूप—रेडियो। आविष्कारक—मारकोनी।

अब टेलीविजन (कहीं भी बैठकर पृथ्वीके किसी भी कोनेमें चल रहे किसी भी कार्यकलापको अपनी आँखोंके आगे घटित होता-सा देखिए।) सिनेमा। रंगीन चित्रपट। त्रिदिग्व्यापक चित्र। गन्ध-ग्राही चित्रपट। अणुका भेदन--प्रो० अर्न्स्ट रदरफोर्ड (बरमिंघम विश्वविद्यालय)। अनन्त सम्भावनाएँ। आणविक शक्ति। अणु बम। मानव जातिके उपकार एवं अपकारकी अपार शक्ति। उद्जन बम। रेडियमसे निकले परमाणुकी मन्दतम गति ७,००० मील प्रति सेकण्ड। रेडियमका अनन्त उत्ताप--एक्सरे। ठोस-से-ठोस पदार्थके बाह्य स्तर भेदकर अन्तःप्रदेशके चित्र। सापेक्षता-वाद--आइन्स्टाइन। इस आविष्कारकी युगान्तरकारी सम्भावनाएँ अभी भी भविष्यके गर्भमें। अमरताका दावा।

जीव-विज्ञानके क्षेत्रमें। लुई पस्तो (फ्रान्स), जीवाणु-शास्त्र रोगोंके निदान एवं उपचारमें क्रान्ति। डारविनका विकासवाद। मिचुरिन और लाइसेंको--नए-नए प्राणिभेदों एवं उपभेदोंकी सृष्टि। इस दिशामें सोवियत संघ में कल्पनातीत उन्नति। कृषि और पशु-पालनके क्षेत्रोंमें अनन्त सम्भावनाएँ। अमर गेहूँ। कई मंजिलोंवाले पेड़। एक ही पेड़पर नीचे सन्तरे, ऊपर मोसम्बी और ऊपर कुछ और। रस (स्वाद), गन्ध, रूप आदिमें परमानन्द-दायक विप्लव। मनोविज्ञान--फ्रॉयड और पावलोफ। समाज-शास्त्र, अर्थशास्त्र--रूसो, हीगेल, मार्क्स, लेनिन।

चिकित्सा-शास्त्रके क्षेत्रमें। शल्य-विद्या (जर्राही या चीर-फाड़) के चमत्कार। कलमी अंग। कलमी हृदय, गुरदे, जिगर आदि। अन्धोंको दृष्टि। रक्त-क्षयसे होनेवाली अकाल मृत्युओंपर विजय, . . . मुर्दे भी जिलाए जा रहे हैं। असाध्य रोगोंके इलाज। महामारियोंका सदाके लिए उठा दिया जाना सम्भव।

ज्ञानवृद्धिके साधन। छापेकी मशीन। चीन, असीरिया, बेबीलोन, मिस्र से होते हुए हालैण्ड (आविष्कारक कोसटर) और जर्मनी (आविष्कारक गरटनवर्ग) में आधुनिक रूप प्राप्त। पुस्तकोंकी फिल्में सुरक्षाके लिए। रेडियो टेलीविजन-सिनेमा।

यान-वाहन। मोटर, रेल, जहाज, हवाई जहाज। फ्रान्स के गुब्बारे, १७८३ में गुब्बारोंमें जीवधारी उड़े। राइट (अमरीका) का दो पत्तियोंका विमान। पतंगके आकारवाले, पंखेवाले; एक पत्तीवाले जर्मनीके जेपलीन वायुयान, जार्ज ह्वाइट (अमरीका) का बिना-इंजिनका विमान। हाइड्रोजनसे हेलियम। अब जेट-चालित विमान——मिस्र के हीरोके टोंटीदार गोलेके भाप-चालित लट्टू और तिर्मिगिल की गतिके सिद्धान्तपर टोंटी या पतली नलीसे जोरसे फेंकी जानेवाली धार, भाप या हवा (किसी भी वायव्य पदार्थ) की तेज पतली फूँकसे गतिका उत्पन्न होना। वायुके पर-माणुओंके आधारपर सफर करनेवाले शब्दकी (७६० मील प्रति घण्टा) गतिसे भी तेज जेट-चालित विमान ही चल सकते हैं, क्योंकि पार्थिव पदार्थोंकी क्रियासे चालित गति शब्दकी गतिसे तेज नहीं हो सकती और जेट न तो पार्थिव-चालित है और न क्रिया-चालित, बल्कि हवाचक्की या पनचक्कीकी तरह प्रतिक्रिया-चालित होते हैं। दबी हुई (कम्प्रेस्ड) हवा पेट्रोल गैससे टकराकर विस्फोट पैदा करती है और यह विस्फोट हवा और गैसके मिश्रणका बहुत अधिक विस्तार कर देता है, जिससे वह पीछेके छेदोंसे निकलता हुआ धक्का पैदा करके विमानको बड़े वेगसे आगे ढकेलता है। 'करतलगत ब्रह्माण्ड'। चन्द्रलोककी यात्रा। मंगल-ग्रहकी यात्राकी सम्भावनाएँ।

यन्त्र-कौशलमें क्रान्ति। मशीनका 'आदमी' आदमीकी ही तरह हर काम बटन दबाते ही करने लगना। मशीनका 'दिमाग' बीहड़-से-बीहड़ सवालोंको हल करना। अरबों-खरबोंके गुणन-समीकरण आदि पलक मारते-मारते करना। यन्त्र कौशलके जरिए 'तीनों लोककी सुख-सम्पदा' का बटन दबाते ही उपभोग सम्भव।

विज्ञानके नए-नए क्षेत्र, नए-नए शास्त्र। भूतल, भूगर्भ, वातावरण, नक्षत्र लोक, उदावरण, हर कहीं पहुँच।

वैज्ञानिक आविष्कारोंके दुरुपयोग। "देवताओंने आविष्कार किया, पर शैतानोंके हाथोंमें पड़ गया।" कोई नृशंस अधिकारी मिनटोंमें संसारका प्रलय कर सकता है। विज्ञानके दुरुपयोगको बन्द करनेका उपाय। स्वार्थियोंके हाथोंमें सत्ताका छिन जाना और संसारकी हर वस्तुपर जन-सत्ताकी प्रतिष्ठा।

४.
बातचीत

हीरा और कोयला

हीरा--मेरे पास तू कैसे ?

कोयला—क्यों ? तेरा और मेरा तो जनमका साथ है !

हीरा--जनमका साथ है,--चल हट, दूर हो यहांसे !

कोयला--झूठ मानता है ? अरे, हम सगे भाई हैं।

हीरा--क्या कहना है ! अभी तक जनमका साथी बनता था, अब भाई बनने लगा। मैं एकदम गोरा, तू काला-कलूटा। भला कौन कहेगा कि तू मेरा भाई है ?

कोयला--अरे, मैं तेरा सगा ही नहीं, सगा बड़ा भाई हूं। एक ही पेटसे पहले मेरा जनम होता है, तब तेरा।

हीरा--तभी न हम दोनों एक-से हैं ?

कोयला—यह ईश्वरीय देन है। क्या देव और दानव भाई नहीं ?

हीरा--सोलह आने सच। लेकिन दानव तू ही हुआ, क्योंकि तू मेरा बड़ा बनता है।

कोयला--कौन दानव है और कौन देव, यह तो कर्मसे विदित होगा। अपने मुँहसे कहनेकी क्या आवश्यकता है ?

हीरा--अच्छा, रहने दे अपनी पण्डिताई ! आ, हम अपनी-अपनी करनी तो देख लें कि तू बड़ा भाई होने योग्य है कि नहीं ?

कोयला--बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुझे ही अपनी बड़ाईका बड़ा घमण्ड है; चल, तू ही अपने गुण कह ।

हीरा--पहले तो मेरा रूप ही देख । मैं जहाँ रहता हूँ, सूर्यकी तरह चमकता हूँ । रंग-बिरंगी किरणें मुझमेंसे निकला करती हैं । देखनेवालोंकी आँखें खुल जाती हैं और तबीयत हरी हो जाती है ।

कोयला--क्या कहना है ! तू तो एक कंकड़-जैसा खानके बाहर आता है; वह तो हीरा-तराश है जो तुझे यह कृत्रिम रूप देता है । तेरा अपना प्रकाश कहाँ ? तुझपर तो जैसी छाया और आभा पड़ी, वैसा ही तू बन जाता है,--गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास ।

हीरा--पूरी बात तो सुन ले ! सुन,--मैं राजराजेश्वरोंके सिरपर बैठता हूँ । सुन्दरियोंका आभूषण बनता हूँ ।

कोयला--हाँ, तू अपने कारण सम्राटोंके सिर कटाता है । बड़े-बड़े राज्य तहस-नहस करा डालता है । तू सुन्दरियोंकी सहज रमणीयतापर भी अपने बनावटीपनसे पानी फेरता है ।

हीरा--मैं बड़े-बड़े राज-कोषोंमें कितनी रक्षासे रखा जाता हूँ ! मेरे लिए पहरा-चौकी लगती है ! तेरे जैसा मारा-मारा नहीं फिरता ।

कोयला--क्या खूब ! नित्य बन्दी बनकर, सौ-सौ तालोंमें बन्द होकर और सोनेकी काँटेदार बेड़ियोंमें जकड़ा जाकर, तू

अपनेको बड़ा समझे तो समझ। तेरी बुद्धिकी बलिहारी है! मैं तो स्वतन्त्रतापूर्वक दर-दर घूमना ही जीवनकी सफलता समझता हूँ।

हीरा--तू रहा सदाका जलनेवाला। तू दूसरेका उत्कर्ष कब देख सकता है?

कोयला--हाँ, मैं जलता हूँ, किन्तु दूसरेके लिए--मैं अपने कारण दूसरोंको तो नहीं जलाता। मैं जलकर गरीबोंकी भी जरूरतें पूरी करता हूँ--लोगोंको विभूति देता हूँ।

हीरा--हाँ, इसलिए न कि वे तुझे खरीदें?

कोयला--क्योंकि मैं तो तुझे छोटा भाई समझकर तेरी प्रतिष्ठा ही चाहता हूँ, पर तू ठहरा वज्र! तुझे इसका ध्यान कहाँ?

हीरा--रहने दो अपनी उदारता। मैं इन बातोंमें आकर अपना मार्ग नहीं छोड़नेका।

कोयला--मैं तुझे यही तो बताना चाहता हूँ--तेरे दिन अब पूरे हो चले--संसार शीघ्र ही वह दिन देखनेवाला है, जब तेरी पूछ ही न रह जाएगी।

हीरा--जब वह समय आएगा, तब देखा जाएगा। मैं बीचमें ही अपना पदत्याग क्यों करूँ?

कोयला--अच्छा मेरे अनुज, मैं हृदयसे तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर तुझे सुबुद्धि दे।

हीरा--आः! क्या दैव गति ऐसी ही है कि मैं तेरा अनुज होऊँ और तू--कोयला--मेरा अग्रज?

कोयला--हां, यह एक घटना है, जिसे हम मिटा नहीं सकते।

हीरा--तो क्या मनुष्यके पूर्वज बन्दर नहीं थे।

कोयला--यह तो तेरे-जैसे पारदर्शी ही जाने, मैं अन्ध-हृदय इन गूढ़ विषयोंको क्या समझूं?

हीरा--चाहे जैसे भी हो, तूने अपने हृदयका कालापन तो स्वीकार किया। तेरी इस हारके आगे मैं अपना सिर झुकाता हूँ।

कोयला--और मैं भी अपने उसी आन्तरिक अन्धकारसे, जो आलोकका कारण है, तुझे फिर आशीष देता हूँ कि ईश्वर तुझे सुबुद्धि दे।

५.

पत्र-लेखन

'राष्ट्रभाषा रचना, भाग–१' के दूसरे खण्डमें पत्र-लेखन सम्बन्धी कुछ आवश्यक बातें बता दी गई हैं।

पत्र-लेखनकी आवश्यकता इतनी स्पष्ट है कि यहाँ पर उसकी पुनः चर्चा करना अनावश्यक है। अपनेसे दूर रहनेवाले किसी व्यक्तिको कुछ बातें कहनी हों या कुछ पूछना हो तो साधारणतः पत्रका सहारा लिया जाता है। तार, टेलीफोन आदि दूसरे साधन भी हैं, पर असाधारण परिस्थितियों या असाधारण जल्दबाजियोंके अवसरोंपर ही इनका उपयोग होता है।

पत्र लिखनेकी दो रीतियाँ हैं। पुरानी और नई। पुरानी रीतिका प्रचार बड़ी तेजीसे घटता जा रहा है। कारण, नई रीतिमें कई सुभीते हैं। एक तो यह कि पत्र देखते ही पता चल जाता है कि पत्र कहाँसे आया; किसने भेजा; कब भेजा; आदि। ये बातें पत्रके ऊपर या नीचे अलग लिखी होती हैं। पुरानी रीतिके पत्रोंमें ये बातें समाचारोंके साथ मिलकर लिखी जाती हैं। जैसे—

"सिद्धिश्री काशीजी शुभस्थान श्री सर्वोपमायोग्य श्रीपत्री पूजाभाजन श्री ६ चाचाजी की सेवासे वर्धा से चरणसेवक गोपाल नारायण का प्रणाम पहुँचे। मैं आपके आशीर्वादसे सकुशल हूँ। आपका कुशल-क्षेम मनाता रहता हूँ। आगे समाचार यह है कि.... इति शुभम्। शुभ मिति क्वार बदी ४, सं. २००३ वि.।"

इस कारण पूरा पत्र पढ़े बिना इसका पता नहीं चल सकता। दूसरे 'सिद्धि श्री.....रहता हूँ' आदि लम्बा-चौड़ा सिरनामा नहीं लिखना पड़ता। इससे समय और श्रम——दोनोंकी बचत होती है।

नए ढंगसे पत्रोंके साधारणतः चार भाग होते हैं——

(क) प्रारम्भिक भाग (आदि)

इसमें लेखकका अपना पूरा पता और पत्र भेजनेकी तारीख आदि विवरण ऊपरके दाहिने कोनेमें लिखा होता है, फिर थोड़ी खाली जगह छोड़कर पत्र प्रारम्भ किया जाता है।

(ख) मध्य भाग (कलेवर)

यह पत्रका मुख्य भाग होता है, जिसमें लेखका आशय रहता है। इसके भी तीन भाग किए जा सकते हैं। पहले भागमें (जिसके नाम पत्र लिखा जा रहा हो, उसके पदके अनुसार) प्रशस्ति अर्थात आदर के शब्द और सम्बोधन तथा यथायोग्य अभिवादन होता है। जैसे——

पदमें बड़ोंको——श्रीमान, मान्यवर, महानुभाव, महामान्य या महामान्या, परम मान्य, माननीय या माननीया, पूज्यवर, पूज्यतम आदि प्रशस्ति शब्द और प्रणाम, पालागन आदि अभिवादन;

बराबरवालोंको——महाशय, प्रिय महाशय, बन्धुवर, सुहृद्वर, मित्रवर, प्रिय (भाई), प्यारे आदि प्रशस्ति वाक्य और प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते आदि अभिवादन;

छोटोंको——प्रिय (पुत्र,वत्स), चिरंजीव (नाम....), आयुष्मान (नाम....), प्रिय महाशय, प्रिय (नाम....) आदि प्रशस्ति और अभिवादनकी जगह आशीर्वादके शब्द लिखते हैं। किसी भी बिना जान-पहचानवालेको 'महाशय' और जाने-पहचानोंको 'प्रिय महाशय'

लिखना चाहिए। सम्पादक, दूकानदार, अपने बच्चोंके अध्यापक, सरकारी अधिकारी,आदिको (अर्थात कामकाजी पत्रोंमें) 'महाशय' या 'प्रिय महाशय' लिखते हैं। दूसरे भागमें प्रधान आशय (कामकी बातें); तथा तीसरेमें किसी कामना, शुभाशंसा, इच्छा या प्रार्थनाके साथ पत्रके 'मध्य' (अर्थात कलेवर) को समाप्त करते हैं।

(ग) अन्तिम भाग (अन्त)

इसमें (नीचे दाहिनी ओर) सम्बन्धसूचक 'विनीत' विशेषणके साथ पत्र-लेखकका नाम रहता है। साधारणतः नाम विशेषणके ठीक नीचे रहा करता है।

कभी-कभी छूट गई किसी बातको पत्रकी समाप्तिके बाद लिखनेके लिए 'पुनश्च' शब्दका प्रयोग किया जाता है।

(घ) **पता**--लिफाफे या कार्डके एक कोनेमें लिखा जाता है। दाहिनी ओर चिट्ठी पानेवालेका पूरा पता और बाईं ओर पत्र-लेखकके पतेका संकेत।

व्यापार आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली चिट्ठियों या दरखास्तों (**कामकाजी पत्रों**) में आशयको स्पष्ट करनेके लिए उसे शीर्षक रूपमें पत्रके प्रारम्भमें (सबसे ऊपर, ठीक बीचमें) लिख देते हैं। ऐसे पत्रोंमें प्रशस्तिके स्थानपर प्रेष्यका नाम या पद और उसका पूरा पता दे देते हैं। फिर उसके नीचे साधारण-सा सम्बोधन ('प्रिय महाशय') आदि देकर पत्रका प्रधान कलेवर आरम्भ कर देते हैं।

पत्र-लेखनके सम्बन्धमें कुछ व्यावहारिक बातें--

(क) सम्बोधनके बाद ही पत्रके मुख्य विषयका उल्लेख करते हुए पत्र प्रारम्भ कर देना चाहिए। अधिक भूमिका न बाँधनी चाहिए।

(ख) जहाँतक हो सके पत्रकी भाषा सरल हो, वाक्य छोटे हों, और शब्द भावनाको स्पष्ट करनेवाले हों। पत्र बातचीतकी शैलीमें लिखना चाहिए। कोई बनावट न हो, शंका न रहे। पढ़ते समय ऐसा लगे कि लिखनेवाला सामने बैठा बोल रहा है। वाक्योंकी बनावट इस ढंगकी हो कि पढ़नेवाला लिखनेवालेकी मुख-मुद्रा, अंग-चेष्टाओं, भाव-भंगिमाओंतकका अनुमान कर सके। कागजपर दिलकी तसवीर उतर आए। कहीं थोड़ी-सी भी जटिलता न हो, कहीं भी विचारोंमें गुत्थी न पड़ने पाए।

(ग) पत्र उस समय लिखना चाहिए जब मन चंचल न हो। जब क्रोध चढ़ा हो, उस समय पत्र लिखनेसे पीछे पछताना पड़ता है। यदि किसीके पत्रका उत्तर देना हो, तो उस पत्रको सामने रखकर ठीक उसीके अनुसार उत्तर देना चाहिए।

(घ) परिचितोंके पत्रोंमें ही प्रेम या घरेलूपन दिखाना उचित है। अनजान लोगोंको तो कामकाजी पत्र लिखते हैं न, उनमें इन चीजोंको जगह नहीं दी जाती।

(च) एक अनुच्छेद (पैराग्राफ) में एक ही बात लिखनी चाहिए। दूसरी बातके लिए दूसरा अनुच्छेद हो, और तीसरी बातके लिए तीसरा। उसी तरह अलग-अलग अनुच्छेदोंमें अलग-अलग बातें रहें। इससे पढ़नेवालोंको हर बात समझनेमें आसानी होती है और उत्तर देते समय किसी बातके जवाबके छूट जानेकी सम्भावना भी कम रहती है।

(छ) आवश्यक बातें लिख चुकनेपर कुटुम्बी, मित्र जा सुपरिचित व्यक्ति के पत्रमें एक या दो वाक्योंमें अपने स्वास्थ्यका समाचार भी लिख देनेका नियम है और साथ ही यह लिखना भी

न भूलना चाहिए कि "आशा है आप स्वस्थ और सुखी होंगे।" पर कामकाजी या सरकारी पत्रोंमें इस तरहके वाक्य कदापि न लिखे जाने चाहिए।

(ज) सम्बोधनके शब्द जहाँ समाप्त होते हों, ठीक उसीके नीचेसे पत्रकी पहली पंक्ति प्रारम्भ की जाती है और पत्रकी पहली पंक्तिमें जितना स्थान छूटा हो, उतना ही स्थान छोड़कर प्रत्येक अनुच्छेदकी पहली पंक्ति लिखी जाती है। बाकी पंक्तियाँ पत्रकी पूरी चौड़ाईमें (हाशिया छोड़कर) लिखी जाती हैं।

(झ) पत्रकी समाप्ति करते समय लेखक अपने नामसे पहले जो सम्बन्धसूचक विशेषण जोड़ता है, वह विनयवाचक होना चाहिए। जैसे—बड़ोंको : 'आपका कृपाभिलाषी', 'आपका कृपाकांक्षी', '...अनुगृहीत', ...'स्नेहाधीन', 'दर्शनाभिलाषी' आदि; बराबरवालोंको : 'आपका सुहृद्', 'आपका स्नेही,' '...शुभेच्छु' ..'हितचिन्तक' या 'शुभचिन्तक' अथवा केवल 'आपका' या 'भवदीय' लिखनेकी परिपाटी है। छोटोंको, तुम्हारा शुभेच्छु आदि या केवल 'तुम्हारा' लिखकर नीचे हस्ताक्षर करना चाहिए। अपरिचितों—बड़ों, छोटों, बराबरवालों—सभीको 'भवदीय' ही लिखना चाहिए।

(ट) अन्तमें अपना नाम स्पष्ट अक्षरोंमें लिखना चाहिए। मित्रों और बहुत ही परिचित व्यक्तियोंके पत्रोंमें अपना नाम संक्षिप्त अक्षरोंमें लिखा जा सकता है, पर अन्य पत्रोंमें नाम बहुत ही साफ और पूरा लिखना चाहिए।

(ठ) लिफाफे या कार्डपर पता लिखनेका यह नियम है कि दाहिने, नीचेवाले कोनेपर पता लिखा जाता है। पहली पंक्तिमें

पानेवालेका पूरा नाम, दूसरी पंक्तिमें उसके स्थानका नाम, घरका नम्बर, गाँव या गलीका नाम, तीसरी पंक्तिमें डाकघर और चौथी पंक्तिमें जिलेका नाम लिखना चाहिए। डाकघरके नामके नीचे एक आड़ी लकीर खींच देना चाहिए।

पतेमें पानेवालेका केवल नाम और उपाधिके सिवा लम्बे-चौड़े कल्पित विशेषण नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि पता सिर्फ डाकघरोंके लिए होता है।

सरकारी उपाधिधारियोंकी उपाधिका उल्लेख पतेमें कर दिया जाता है। कोई-कोई शिक्षाकी डिग्रियाँ भी लिख देते हैं।

सरकारी अधिकारीके पास पत्र भेजना हो, तो पतेमें उस अधिकारी विशेषका नाम न लिखना चाहिए, नहीं तो व्यक्तिगत पत्र समझा जाएगा। उस पत्रमें सिर्फ ओहदेका ही उल्लेख होना चाहिए; जैसे :– डायरेक्टर, जन-शिक्षण विभाग, पोस्ट मास्टर जनरल, सब-डिवीजनल आफिसर, इत्यादि। पद या पेशेका उल्लेख हमेशा नामके बादवाली दूसरी पंक्तिमें होता है।

जैसे :—

डॉक्टर कमलनयन पाठक,
सुपरिटेंडेंट
यक्ष्मा आरोग्य-भवन,
इटली।

श्री जयमंगल शर्मा,
एम. ए., बी. एल.,
"सरकारी वकील एवं सार्वजनिक अभिशासक", मुजफ्फरपुर।

———

पत्रोंके नमूने—

१. पुत्रका पत्र पिताके नाम

(यात्राकी अनुमतिके लिए)

ब्रजकिशोर पथ, **पटना**
११ सितम्बर, '६१

पूज्य पिताजी, प्रणाम !

घड़ी मिली। बड़ी अच्छी है। सभी सहपाठी सराहते हैं। इसका अर्थ भी मैं भरसक समझ गया हूँ। घड़ी-घड़ीका सर्वोत्तम उपयोग करूँगा। समय अमूल्य है। जीवन नियमित रखूँगा। सब काम समयपर करूँगा। घरपर रहता था तो आप बात-बातपर इन बातोंकी याद दिलाते रहते थे। यह यहाँ घड़ी ही हर घड़ी याद दिलाया करेगी। इस घड़ीके कारण आपकी भी याद आती ही रहेगी।

इस बार परीक्षामें अच्छा स्थान पानेपर घड़ी मिली है। अगली बार भी इसी तरहकी सफलताके लिए प्रयत्न करूँगा; किन्तु मेरी यह धारणा है कि यह घड़ी कर्तव्यको कर्तव्यके नाते ही करनेकी शिक्षा देती रहेगी और इस कर्तव्य-पालनका तो परीक्षा-फल अपने-आपमें योग्यतम पुरस्कार है। अतः घड़ीको लालचसे नहीं, वरन कर्तव्य-पालनकी भावनासे मैं समयके सदुपयोग और परिश्रमपूर्वक अध्ययनकी ओर पूरा ध्यान दूँगा।

किताबें सारी-की-सारी ले डाली हैं; पर अभी पढ़ाई पूरे वेगसे शुरू नहीं हो पाई है। इतना भर हो गया है कि अपने-अपने

विषयोंमें हमारी दिलचस्पी उभार दी गई है। पूजाकी छुट्टियोंके बाद हम अपने विषयोंमें गहरी डुबकियाँ लगाएँगे।

हाँ, छुट्टियोंमें अब कुछ ही दिनोंकी देर है। मेरा विचार है कि मन्ना भैयाके साथ कुछ घूम-फिर आऊँ। दक्षिण जानेका इरादा है। अजन्ता और एलोरा की गुफाएँ, सेवाग्राम, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा आदि देखते हुए उड़ीसा चले जाएँगे और कोणार्क, भुवनेश्वर आदि देखकर पटना लौट आएँगे। इच्छा तो थी कि कलकत्ता भी जाते। वहाँ भी बहुत कुछ दर्शनीय है, पर समय नहीं बचेगा।

ताऊजीकी अनुमति मिल चुकी है। इसलिए मन्ना भैया तो अभी तैयारियोंमें लग गए हैं। कभी रेल्वेका नक्शा देखते हैं, तो कभी टाइम-टेबल। कभी साथ ले जानेकी चीजोंकी सूची बनाते हैं, तो कभी उनमेंसे एकाध चीजें खरीदने बाजारकी ओर निकल जाते हैं। फिर मनमें कोई नया विचार उठा कि पुराने समय-क्रमों और सूचियोंमें हेर-फेर करने लग जाते हैं; बड़ी उमंगमें नजर आते हैं। उनका कहना है कि हम इस यात्राको अधिक-से-अधिक सफल बनाएँ, अर्थात रास्तेमें कम-से-कम समय लगे, हर तरहसे आराम भी रहे और जितना भी देखा-सीखा जा सकता है, देख और सीख लिया जाए।

अभी तक मैंने साथ देनेका वचन नहीं दिया है। पर इतना कह दिया है कि अनुमतिके लिए पिताजीको लिख रहा हूँ। मेरी अपनी इच्छा तो है, आकर्षण भी कोई ऐसा-वैसा नहीं है। सैर-सपाटेका सैर-सपाटा और ज्ञानार्जन नफेमें। पर आपको अगर किसी तरहकी आपत्ति हो, तो मैं हठ हर्गिज न करूँगा।

आपका वात्सल्य-भाजन,

प्राणमोहन

२. पुस्तक-विक्रेताका पत्र ग्राहक छात्रके नाम

पुस्तक बिक्री विभाग,
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति,
हिन्दीनगर, **वर्धा**
१५ अगस्त, १९६५

प्रिय महाशय,

१० अगस्त वाली आपकी चिट्ठी मिली। आपके तकाजे ठीक है। परीक्षाको अब कुल डेढ़ महीना रह गया है। यह भी ठीक है। पर आपकी माँग ठीक उस समय पहुँची, जब पिछले संस्करणकी अन्तिम प्रति तक हमारे भण्डारसे निकल चुकी थी। अगले संस्करणके तैयार हो जानेमें बस इसी सप्ताहकी तो देर है। इधर कई छुट्टियाँ पड़ गईं; इसलिए समय अधिक लग गया। वरना, अब तक पुस्तक आपके हाथोंमें होती।

बाकी सारी किताबोंकी एक-एक प्रति भेज रहे हैं। बीजक अलगसे आ रहा है।

"निराला" आप प्रकाशकके यहाँसे ही मँगा लें। समिति द्वारा प्रकाशित पुस्तकोंके अलावा हम सिर्फ उन्हीं किताबोंकी माँगे पूरी करते हैं, जो समिति की परीक्षाओंके लिए स्वीकृत हैं।

देरके लिए क्षमा करेंगे। मन लगाकर पढ़ें, तो अभी भी परीक्षाकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं।

भवदीय,
कमलकिशोर शर्मा

३. मित्रका पत्रोत्तर

काठमाण्डू,
१९ अक्टूबर, '६४

प्यारे भाई,

तुम समझते होगे कि वर्धा देखनेका मुझे शौक ही नहीं। और पता नहीं क्या-क्या अरमान सँजो रखे होंगे तुमने! गलती हो गई कि अत्यन्त संक्षेपमें चिट्ठी लिखी। माफ करना।

देखो बात यह है कि बड़े दिनकी छुट्टियाँ आती हैं और फुर्र-से उड़ जाती हैं। एक-डेढ़ हफ्तोंकी आखिर बिसात ही क्या! अब तुम्हारा हठ है कि बड़े दिनकी छुट्टियोंमें मैं वहाँ आ ही जाऊँ। चक्रव्यूह-सी टेढ़ी-मेढ़ी रेलकी राह, इतनी बड़ी दूरी, राहकी मुसीबतें और यह सब कुछ झेलकर वहाँ पहुँचूं भी तो पहुँचते ही वापसीकी तैयारी करनी पड़े! कभी सोचा भी है इन पहलुओंपर? वर्धा आनेकी मेरी लालसा स्वयं बड़ी तीव्र है। उसपर तुम्हारा यह ऐसा आग्रह, लुभावने वर्णनोंवाली चिट्ठियाँ, भाभीके ताने, वर्धा का अपना आकर्षण––'खाएँ किधरकी चोट, बचाएँ किधरकी चोट?' इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगले सालकी गरमियोंमें आऊँ। डेढ़-दो महीनेकी फुरसत रहेगी। सब कसर पूरी कर लेना। रही बात मौसमकी, तो जिसपर अपना वश नहीं, उसका रोना क्या? जो काठमाण्डू के जाड़े झेल लिया करता है, वह एक साल वर्धा की गरमी भी झेल ही लेगा।

यहाँ हिन्दी सीखनेकी बड़ी धूम है। हर कोई दिलचस्पी लेता नजर आता है। क्या ही अच्छा हो अगर 'राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति' की एक शाखा यहाँ भी खुल जाए। मेरी तो राय है

कि तुम मन्त्रीजीसे चर्चा करो और कोशिश करो कि शीघ्र ही एक प्रचारक या संचालक यहाँ नियुक्त कर दिया जाए।

तुम्हारा अपना
रतन बहादुर

●

४. सहेलीको

दारागंज, प्रयाग
२३ मार्च, '६४

प्यारी माधवी,

मधुबन वाली राधा को तो तुम जानती ही हो। हम तीनोंकी छात्रावासमें खूब पटती थी। इस साल वह एम. ए. की परीक्षा देने जा रही है। लेकिन वह खबर सुनानेको यह चिट्ठी लिखने नहीं बैठी हूँ। यदि सच पूछो तो यह निमंत्रण-पत्र है। बात यह है कि सुश्री राधा अब मेरी भाभी बनने जा रही है। मँझले भैया (विजयशंकर जी) को विदेश जाना है, इसलिए यह निश्चय हुआ है कि विवाह इसी वर्ष हो जाए। ३० मार्चका दिन पक्का हुआ है। हो सके तो तुम दो-चार दिन पहले ही चली आओ। तुम्हारे सुधाकर को भी बुला रही हूँ। कहो,कैसी रहेगी ? राधाकी माताजी भी मान गई हैं। सच तो यह है कि वह पहले भी भैयापर मन-ही-मन लट्टू थी, ऊपरी दिखावेके तौरपर ही आना-कानी कर रही थी।

देखना, इस बार भी कोई बहाना न ढूंढ़ निकालना। एक न चलने दूंगी। आना ही होगा, वरना समझ रखना आइन्दा साल ....।

दिलकी बात यह है कि मेरी बड़ी लालसा है कि सभीको एक साथ और उमंगोंमें देखूँ।

पिताजीकी ओरसे रस्मी निमन्त्रण-पत्र भी पहुँचेगा। पर वह तो हुआ घरके और लोगोंके लिए।

हाँ, अपना सितार लेती आना। ऐन घड़ीके 'अन्तरंग मण्डल' में तुम्हारा प्रोग्राम रहेगा। "कौन जाने" की गत बजानी होगी। तुम्हारी उस्तादीका ढिंढोरा पीट रखा है और सहेलियोंको न्यौत भी रखा है।

तुम्हारी अभिन्ना,

—सुधा

पुनश्च—मण्डप राधा के क्लाइव रोडवाले बंगलेपर बनेगा। बरातमें हम कोई दस-बारह सहेलियाँ जाएँगी। कोशिश रहेगी कि हम माताजी वगैरहकी मण्डलीसे अलग टिकाई जाएँ, जिससे हा-हा, ही-ही की स्वतन्त्रता रहे।

—सुधा

५. निमन्त्रण-पत्र

श्रीमान् / श्रीमती..............................

महोदय,

मेरे मँझले पुत्र चि. विजयशंकर, एम. डी. का शुभ विवाह मधुबनके श्रीयुत रमाचरण मेहताकी सुपुत्री सुश्री राधा, बी. ए. के साथ आगामी ३० मार्च को होना निश्चित हुआ है। बरात रमाचरण बाबू के क्लाइव रोड वाले बँगले पर जाएगी। अतएव आपसे विनीत निवेदन है कि इस शुभ अवसर पर पधारकर वर-वधू को आशीर्वाद दें और मुझे अनुग्रहीत करें।

दारागंज, प्रयाग
२४ मार्च '५२

निवेदक
गौरीशंकर टण्डन

६. खुली चिट्ठी

ग्रेट ब्रिटन के प्रधान-मन्त्री श्री हेराल्ड विल्सन के नाम

महानुभाव

आप शायद हिन्दी न जानते होंगे, पर अनुवाद करने-वालोंकी कमी आपके यहाँ नहीं है। मैं यह खुली चिट्ठी हिन्दीमें इसलिए लिख रहा हूँ कि हमारे देशवासी इसे पढ़ें। मुझ-जैसे गुमनाम भारतीयके शब्दोंको आप कितना महत्त्व देंगे, इसका अनुमान मैं भली-भाँति लगा सकता हूँ। यही कारण है कि खुली चिट्ठी लिख रहा हूँ।

आप हम भारतीयोंके मित्र होनेका दावा करते हैं। हमें इस दावेमें सहज विश्वास नहीं होता। आप-जैसे महान यदि सचमुच हमारे मित्र होते, तो सच कहता हूँ कि हमें अपार हर्ष होता, हम अपनेको भाग्यवान समझते। पर काश, कुछ बातें ऐसी हैं, जिनके कारण इस दावेको सुनकर सिर नहीं हिलाया जाता, चुप नहीं रहा जाता।

आपकी सरकारने हमारी अर्थ-नीतिको इस कदर रूँध रखा है कि उसका दम घुट रहा है। आपकी नीति उसके किसी भी तरहके विकासकी राहमें रोड़े अटकाती है। मित्र होकर आप हमें पिछड़ा और परमुखापेक्षी रखना चाहते हैं। आपने हमारी भारी यन्त्रोंकी माँगोंको पूरा करनेसे बराबर इनकार किया है और अभी भी करते ही जा रहे हैं। हमें जरूरत है ऐसे यन्त्रोंकी, जो यन्त्र-निर्माण, धातु-शोधन, रासायनिक उद्योग, धात्विक, खनिज्ज उद्योग और यन्त्र-उद्योग (इंजीनियरिंग) आदिमें काम आएँ।

पर इनकी माँग हम करते हैं तो आप कान ही नहीं देते। देते हैं साबुनकी टिकिया, कंघे, झुनझुने आदि। लेकिन हम तो न जाने कबसे, 'खिलौने दे कर बहलाए गए हैं ?'

अब इस तरह कब तक चलेगा ? हमें तो अपने औद्योगीकरणकी अगस्ती-प्यास है और विश्वास है कि हम इसे बुझानेमें सफल होंगे। दूसरे भी देश हैं, जिनसे हमें अपेक्षा है। ऐसे भी देश हैं, जिनकी आप-जैसे सम्पनोंने बराबर हमारी ही तरह उपेक्षा की, पर आज वे किसीके मुँहताज नहीं।

'जहाँ कतरोंको तरसाए गए हैं
वहीं डूबे हुए पाए गए हैं।'

और हम आपसे कोई भीख तो माँग नहीं रहे! हमारी कोयला-खानों, चाय-काफी-बगानों, तेल-कूपों और शोध-कारखानों, जूट-मिलों और बहुतेरे इंजीनियरिंग प्रतिष्ठानोंसे आज भी आप करोड़ों रुपए सालाना पीट रहे हैं। हमारे विदेशी व्यापार, बैंकों और मालियतकी चाभी आपने हथिया रखी है और हम अपने ही घरमें आपके मुखापेक्षी बन गए हैं! हमारे ही कच्चे मालसे हमारे ही देशमें आपने छह अरबकी पूंजी खड़ी कर ली है और उसके सहारे हमारे मालिक बने बैठे हैं। कथनीमें न होते हुए भी करनीमें तो आप वैसे ही पेश आते हैं।

पिछली लड़ाईके दिनोंमें सामान और सेवाओंके रूपमें आपने हमारे सोलह अरब रुपए हड़प कर लिए। हड़पना ही न कहें तो और क्या कहें जब कि आपने आधी रकम तो मंसूख कर डाली और बाकीको भी अपनी आवश्यकतानुसार खरचनेके अधिकारसे हमें वंचित रख रहे हैं ?

यह नहीं कि हमारा दोष न हो। है, पर यही कि आप अपना स्वयं देखते हैं और हम देखते हैं आपकी भलमनसाहतकी राह। तभी हम आपको कमीशन, सूद, मुनाफा आदिके रूपमें प्रतिवर्ष लगभग चालीस करोड़ रुपए चुकाए चले जा रहे हैं, ब्रिटेन में बैठे अपने १९९०५ आदमियोंको दस करोड़ रुपए सालाना पेंशन दिए चले जा रहे हैं, आपके बैंकोंको पच्चीस-तीस करोड़ कमीशन दे रहे हैं और आप हैं कि इतनेपर भी 'दे' को छोड़ 'ले' कहनेका नाम ही नहीं लेते। फिर भी आप समाजवादी कहलाते हैं और हमारे देशको आजादी दी है, इस आशयके इतने ढोल पीटते हैं मानो आपने कोई बहुत बड़ी कुरबानी कर दी हो।

क्या इसी तरह औद्योगीकरण-सम्मेलन नहीं किया जा सकता? क्या आपकी यह राय है कि हम सदाकी भाँति आपको कच्चा माल देते रहें और आपके पक्के मालके स्थायी ग्राहक बने रहें।

सार्वजनिक उत्तरकी आशामें।

४ अप्रैल, '६५ —एक भारतीय नागरिक

७. इस्तीफा

श्रीयुत व्यवस्थापक महोदय,
दैनिक 'नव जागरण',
कलकत्ता।

महाशय,

'नव जागरण' के जन्मकालसे ही मैंने उसकी भरसक सेवा की है। पूरे 'नव जागरण'—परिवारका प्यार और सम्मान भी मुझे यथेष्ट मिला है। इसके लिए मैं हृदयसे कृतज्ञ हूँ और रहूँगा। पर खेद है कि मैं अपने इस प्रिय पत्रकी सेवा अब और न कर सकूँगा; कारण पत्रकी परिवर्तित नीतिका निर्वाह मुझसे नहीं हो सकेगा। नई व्यवस्थासे मुझे और कोई शिकायत नहीं। है भी तो बस यही कि एक तो मैं सैद्धान्तिक रूपसे इस परिपाटीका कट्टर विरोधी हूँ कि पत्रकी नीतिके सम्बन्धमें सम्पादक व्यवस्था-विभागका मुंह ताके और दूसरे यह कि मौजूदा नीतिके समर्थनमें कलम चलाना मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती।

इसलिए विनीत प्रार्थना है कि मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर मुझे अनुग्रहीत किया जाए।

'नव जागरण' की उत्तरोत्तर उन्नतिकी शुभाकांक्षाएँ।

८ अप्रैल, '६५

निवेदक,
पु. म. पाण्डेय

८. सम्पादक को

सम्पादक,

'साथी', कलकत्ता।

महाशय,

मेदिनीपुर की भुखमरीकी समस्याके प्रति 'साथी' का रुख अप्रत्याशित रूपसे एकाएक बदल गया है। मैं स्वयं उसी इलाकेमें रहता हूँ। अखबारों और आपके 'साथी' के ही पिछले अंकोंमें प्रकाशित मृत्यु-समाचारोंमेंसे कई मृत्युओंका अनाहारजनित होना मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। चावल पचास रुपए मनकी दरसे भी नहीं मिलता। आप अगर आ जाएँ तथा यह प्रगट न होने दें कि आप अमुक हैं, तो हर दूकानपर सिर पटक आनेपर भी किलो-भर चावलके लिए आपको निराश होकर ही लौट जाना पड़ेगा।

'साथी' इस इलाकेकी जनताका बहुत ही प्रिय पत्र रहा है; पर इधर उसका स्वर कुछ बदला हुआ-सा प्रतीत होता है। इस इलाकेकी समस्याओंको रोशनीमें लानेके सम्बन्धमें यह उदासीनता भी बरतने लगा है। फिर लोकप्रिय सम्पादक पाण्डेयजी का नाम भी इधर कई हफ्तोंसे नहीं छपा करता। इन्हीं बातोंसे 'साथी' के बारेमें हमारे इलाकेकी जनता कुछ सशंक हो उठी है। 'साथी' के कालमोंमें अथवा नीचेके पतेपर पत्र लिखकर आप इन शंकाओंका समाधान करेंगे।

आपका,

२४ मई, '६५

चारुचन्द्र एडवोकेट,

अध्यक्ष, मेदिनीपुर पत्रकार-संघ

९. अभिनन्दन-पत्र

महाकवि ‘निराला’ के कर-कमलोंमें !

महाकवे !

‘विजन वन वल्लरी’ पर ‘शिथिल पत्रांकमें सोती जुहीकी कली’ हिन्दी-कविताको मलय-समीरके झोंकोंकी तरह आकर आपने ही खिला दिया, उसके ‘निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र’ खोल दिए और साहित्यके सारे दिशाकाशको सुरभित कर दिया।

वाणीके वरद पुत्र !

आपने भारत में प्रिय स्वतन्त्र रव अमृत मन्त्र नव’ भर दिया है ! अन्ध उरोंके बन्धन काटकर ज्योतिर्मय निर्झर बहा दिया है ! ‘नव गति, नव लय, ताल-छन्द नव, नवल कण्ठ बन जलद-मन्द्र-रव’ से आपने नई ही साहित्य-सृष्टि रच डाली है। अब नए आकाशमें नए विहंग नए स्वरोंमें गाते और नए पर फैलाते हुए विचर रहे हैं।

जन-मनके अनन्त अन्तरिक्षमें घने मेघ बने आज आपके अपने ही सपने मँडरा रहे हैं।

बरसातकी बूंदोंकी गिनतीमें अधखिली कलियाँ चुनकर आपने अनगिनत ‘बूंदोंकी लड़ियोंके हार’ भगवती वीणापाणि को पहनाए हैं।

कर्मवीर !

‘वनबेला’की तरह पत्थरकी छाती छेद-भेदकर कर्म-जीवनके दुस्तर क्लेशसे आप ऊपर आए हैं। पर कभी उफ् तक न की। ‘दुख ही जीवनकी कथा रही’, किन्तु कहनेका जब-जब अवसर आया तब-तब आपने यही कहा—‘क्या कहूँ आज जो नहीं कही !’

ऋषिवर !

आपके जीवन और साहित्यकी साधनामें भारतीयता मूर्तिमान हो उठी है। उपेक्षाएँ आपकी प्रतिमाको कुण्ठित नहीं कर सकीं। आपने अपनी साधनासे माँ-भारत की झोलीमें अनुपम रत्न भरे हैं। आपके स्वरोंमें एक बार फिर भारत में तुलसी की वाणी गूँजी है !

विप्लवके वीर !

'रुद्र तोष' और 'क्षुब्ध कोष' वाले आपको चाहे जो कहें--'आतंक-अंक' पर भयसे काँपते हुए चाहे जो बड़बड़ाएँ--पर पतली बाहों और दुबले शरीरवाले अभी भी आपको बाँहें उठाकर बुला रहे हैं और जब तक आप उन्हें पूर्णतः प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक यों ही बुलाते रहेंगे !

हमारे 'निराला' !

आपके लिए हमारे पास चूँकि अपने शब्द नहीं, इसलिए आपके ही शब्दोंमें अपनी भावनाएँ पिरोकर आपको अर्पित करते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे लिए जो राजमार्ग आपने बना दिया है, उसपर हम आगे बढ़ते ही जाएँ।

--हम हैं,

मित्रमण्डल--मुजफ्फरपुर के
नए साहित्य-सेवी

२३ फरवरी, '४९

६.

शुद्धाशुद्ध

कुछ शब्दोंके शुद्ध-अशुद्ध रूपोंके विषयमें विद्यार्थियोंको प्रायः शंका बनी रहती हैं। इसलिए वे अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। ऐसी भूलोंसे बचानेके लिए कुछ शब्दोंके अशुद्ध रूपोंके शुद्ध रूप यहाँ दिए जा रहे हैं।

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
पारितोसिक	पारितोषिक	परियाप्त	पर्याप्त
अनाधिकार	अनधिकार	सन्मुख	सम्मुख
कुन्ज	कुञ्ज	पौदा, पोधा	पौधा
व्यवहारिक	व्यावहारिक	महात्म्य	माहात्म्य
तन्दुरस्ती	तन्दुरुस्ती	सुश्रूषा	शुश्रूषा
शाशन	शासन	सहस्त्र	सहस्र
कोशिस	कोशिश	चिठ्ठी	चिट्ठी
रितु	ऋतु	प्रदर्शिनी	प्रदर्शनी
परिणित	परिणत	सत्यागृह	सत्याग्रह
स्मर्ण	स्मरण	बृटिश	ब्रिटिश
आधीन	अधीन	विश्वासनीय	विश्वसनीय

विराम-चिह्न

बातचीतमें प्रत्येक पद, वाक्यांश तथा वाक्य बोलनेके बाद हमें थोड़ी-बहुत देरके लिए रुकना या ठहरना पड़ता है। यदि

बोलनेवाला शब्दोंका उच्चारण समान गतिसे, बिना कहीं रुके, एक ही प्रवाहमें करता चला जाए, तब इस बातकी पूरी सम्भावना है कि सुननेवाले उसके अभिप्रायको ठीक तरह न समझ सकें।

जब हम पद, वाक्यांश या वाक्य लिखते हैं, तब विरामकी जगहोंपर कुछ चिह्न लगाते हैं: ये ही विराम-चिह्न कहलाते हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि बोलनेवाला या पढ़नेवाला कहाँ, कितनी देर ठहरा है, कहाँ-कहाँ अपने किन-किन मनोभावोंको व्यक्त कर रहा है और कहाँ उसकी बात समाप्त होती है?

कुछ प्रमुख विराम-चिह्न ये हैं--

१.	अल्प विराम (कॉमा)	,
२.	अर्ध विराम (सेमी कोलन)	;
३.	पूर्ण विराम (फुल-स्टॉप)	गद्यमें । पद्यमें ॥
४.	प्रश्नवाचक चिह्न	?
५.	विस्मयादि बोधक अथवा उद्गार वाचक चिह्न	!
६.	कोष्ठक	( ) { } [ ]

१. अल्प विराम (,)--पढ़ते समय जिस स्थानपर बहुत थोड़ा ठहरना हो, वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है।

उ०--भारतवर्ष में राजा हरिश्चन्द्र जैसे सत्यवादी, दधीचि जसे आत्मत्यागी, शिवाजी जैसे गो-प्रतिपालक और गुरु गोविन्द-सिंह जैसे धर्मवीर राजा हुए हैं।

२. अर्द्ध विराम (;)--यह चिह्न वहाँ लगाया जाता है, जहाँ अल्प विरामसे अधिक देर रुकना अभीष्ट हो या जहाँ किसी

वाक्यके दो भागोंमेंसे पहला अपने अर्थमें पूर्ण हो और दूसरा उसकी व्याख्या आदि करता हो।

उ०—अब धन नहीं रहा; उसीके साथ मानो शरीरकी शक्ति भी चली गई।

३. पूर्ण विराम (।)—प्रत्येक वाक्यके अन्तमें लगाया जाता है।

उ०—मोहन बैठा है। राष्ट्रभाषा हिन्दी को अपनाओ।

४. प्रश्नवाचक चिह्न (?)—यह विराम चिह्न प्रश्न-वाचक वाक्यके अन्तमें पूर्ण विरामके स्थानपर प्रयुक्त होता है।

उ०—तुम्हारा नाम क्या है?

५. विस्मयादि बोधक चिह्न (!)—यह चिह्न उस शब्द, पद, वाक्यांश या वाक्यके अन्तमें आता है, जो आश्चर्य, भय, शोक या हर्ष भावका बोधक हो।

उ०—अहाहा! वाह-वाह! मेरा मित्र कहाँ चला गया! छी! छी! ऐसी अनहोनी बात!

७.

समानार्थक शब्द

एक ही अर्थको प्रकट करनेवाले कई शब्दोंका ज्ञान विद्यार्थियोंको होना आवश्यक है। इससे शब्द-भण्डारमें वृद्धि होती है। इस दृष्टिसे 'राष्ट्रभाषा रचना, भाग १' में कुछ सरल शब्दोंके समानतादर्शक शब्द दिए गए हैं। यहाँ उनसे कुछ कठिन शब्द दिए जा रहे हैं:—

कमल---पंकज, सरसिज, अम्बुज, अरविन्द, वनज, पद्म, सरोज, राजीव, सरोरुह, कंज, वारिज, अब्ज, तामरस।

गंगा---जान्हवी, भागीरथी, सुरसरि, देवापगा, त्रिपथगा।

चन्द्रमा---शशि, विधु, निशिकर, इन्दु, मयंक, सुधाकर, उडु-पति, शशांक, सोम, कलानिधि, मृगांक, हिमकर।

पक्षी---खग, द्विज, चिड़िया, पखेरू, विहंग, गगनचर, पतंग, शकुनि, शकुन्त।

भौंरा---मधुकर, भृंग, भ्रमर, अलि, षटपद, मदि, मधुप।

राक्षस---यातुधान, दनुज, निशाचर, असुर, निशिचर, तमीचर, दैत्य, दानव।

ब्रह्मा---पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, बिरंचि, विधि, विधाता, कमलासन।

सरस्वती---भारती, वीणापाणि, शारदा, विमला, ब्रह्माणी।

समुद्र---सिन्धु, बारीश, जलधि, उदधि, सागर, पयोधि, नदीश, तोयनिधि।

सोना---स्वर्ण, जातरूप, कंचन, कनक, हाटक, हेम, चामीकर, तामरस, हिरण्य।

सूर्य---रवि, अर्क, दिनकर, तमारि, मार्तण्ड, भास्कर, भानु, आदित्य, पूषण, पतंग, प्रभाकर, तरणि।

हाथी---करि, गज, नाग, कुंजर, द्विरद, मतंग, दन्ती, वितुण्ड, कुम्भी।

विपरीतार्थक (विलोम) शब्द

कुछ शब्दोंके विपरीतार्थक (विलोम) शब्द उसके पूर्व कुछ उपसर्ग लगानेसे बनते हैं। ये उपसर्ग अन, निर्, वि, अ, प्रति, अप आदि हैं। 'राष्ट्रभाषा रचना, भाग १' में कुछ शब्दोंकी चर्चा की जा चुकी है। यहाँ इसीके अन्तर्गत समाविष्ट कुछ और शब्दोंको दिया जा रहा है :—

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
अनुरक्ति	विरक्ति	आचार	अनाचार
आदान	प्रदान	उन्नति	अवनति
उत्कृष्ट	निकृष्ट	कृतज्ञता	कृतघ्नता
अनुराग	विराग	क्रम	व्यतिक्रम
घात	प्रतिघात	यश	अपयश
विधि	निषेध	न्याय	अन्याय
सदाचार	दुराचार	संकीर्ण	विस्तीर्ण
सृष्टि	प्रलय	प्राचीन	अर्वाचीन
सपूत	कपूत	स्थूल	सूक्ष्म
सज्जन	दुर्जन	स्मरण	विस्मरण
सुलभ	दुर्लभ	राग	विराग

८

अनुवाद

एक भाषामें प्रकट किए गए विचारोंको दूसरी भाषामें लिखना अनुवाद कहलाता है। यद्यपि प्रत्येक भाषा के साहित्यमें मौलिक ग्रन्थोंकी रचना होती रहती है और उन्हींका सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है, फिर भी साहित्यकी वृद्धिके लिए अन्य भाषाओंके ग्रन्थोंका अनुवाद होना भी आवश्यक है।

अनुवाद वही अच्छा होता है जिसमें मूलकी सब बातें आ जाएँ और वह अनुवाद-सा न लगे। एकदम ऐसा ही लगे मानो मूल ही पढ़ा जा रहा है। अर्थात उसमें मूल जैसा आनन्द आए। अपनी-अपनी मातृभाषामें अनुवाद करनेके लिए यहाँ हिन्दीके कुछ अवतरण दिए जा रहे हैं:—

१. पशु-धनकी उन्नतिके लिए सरकारको गोचर-भूमियोंका प्रबन्ध करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अच्छे साँड़ोंका भी प्रबन्ध होना आवश्यक है। जहाँ तक हो, पशु-धन बाहर न जाने दिया जाए। पशुओंको बीमारियोंसे सुरक्षित रखकर उनको मरनेसे बचाया जाए। ग्रामवासियोंको बतलाया जाए कि पशु-सेवा एक धर्म है।

यद्यपि किसान लोग बड़े मेहनती होते हैं, तथापि वे पूरे वर्ष कृषि-कार्यमें नहीं लगे रहते। किसानको सालमें छह महिने फुर्सत रहती है। इस फुर्सतके समयमें वह अपने अन्य आवश्यक कामोंको करके फुर्सतके समयका सदुपयोग करता है।

२. शिक्षाका प्रश्न बड़े महत्वका है। ग्रामीण लोगोंको उच्च शिक्षाकी आवश्यकता नहीं, परन्तु उनके लिए प्रारम्भिक शिक्षाका प्रबन्ध होना विशेष लाभदायक होगा। ऐसे स्कूल खोले जाने चाहिए जिनमें बच्चोंको दिनमें तथा प्रौढ़ोंको रातमें शिक्षा दी जाए। प्रौढ़ोंकी शिक्षाका समय ऐसा रहे कि उनके दैनिक कार्यमें बाधा न पड़े। गाँवोंमें पुस्तकालयों और वाचनालयोंके खुलवानेसे भी जनताकी जानकारी बढ़ सकती है।

ग्रामीण लोगोंके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह रहता है कि वे अपने बच्चोंको शिक्षा दिलाएँ तो उनकी मजदूरी और खेती-बाड़ीमें हानि न हो। इस दृष्टिसे ऐसी योजनाएँ आवश्यक हैं जिनके जरिए ये विद्यार्थी अपने अवकाशके समयमें कुछ कमा सकें।

३. **कर्ण**––यह कौन है? किसका स्पर्श है? दुर्योधन! हाँ, सुयोधन ही जान पड़ता है। आओ भाई, कर्ण ने शक्तिभर तुम्हारे लिए युद्ध किया। आओ मित्र, अब उसे अन्तिम बिदा दो।

अर्जुन––दुर्योधन नहीं हूँ, भाई! मैं पार्थ हूँ, तुम्हारा अर्जुन, तुम्हारा छोटा भाई।

कर्ण––कौन? पार्थ? हाँ, सचमुच यह तो पार्थ है। यह क्या बात है तुम्हारा चिर शत्रु मृतप्राय हो रहा है, शस्त्रहीन, आहत, पराभूत पड़ा हुआ है। अब और क्या चाहिए?

अर्जुन––मुझे क्षमा करो, भाई! मैंने बड़ा अपराध किया है। तुम मेरे सहोदर हो, मेरे ज्येष्ठ भ्राता हो। यह मैंने अभी जाना है।

४. जी हाँ, जनाब! सोलहवीं शताब्दीकी बात है। बादशाह हुमायूँ शेरशाह से हारकर भागा था और सिन्ध के रेगिस्तानमें मारा-मारा फिर रहा था। एक अवसरपर प्याससे उसकी जान निकल

रही थी, उस समय एक ब्राह्मणने इसी लोटेसे पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूँ के बाद जब अकबर दिल्लीश्वर हुआ तब उसने उस ब्राह्मणका पता लगाकर उससे उस लोटेको ले लिया और इसके बदलेमें उसे इसी प्रकारके दस सोनेके लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट् अकबर को बहुत प्यारा था। इसीसे इसका नाम 'अकबरी लोटा' पड़ा। वह बराबर इसीसे वजू करता था। सन् १८५७ तक इसके शाही घरानेमें ही रहनेका पता है; पर इसके बाद यह लापता हो गया। कलकत्ते के म्युजियममें इसका प्लास्टरका मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमीके पास कैसे आया! म्युजियमवालोंको पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएँ।"

५. साँझ हो गई थी। जब शिशुपाल पाटलिपुत्र पहुँचे, और राजमहलमें पहुँचाए गए, उस समय तक उनको किसी बातका भय न था; परन्तु राजमहलकी चमक-दमकका उनपर भय छा गया, उसी प्रकार जिस प्रकार मनुष्य थोड़े जलमें निर्भय रहता है, परन्तु गहराईमें पहुँचकर घबरा जाता है। उनके हृदयमें कई प्रकारके विचार उठने लगे। कभी सोचते—"किसीने कोई शिकायत न कर दी हो। जो जीमें आता है, बेधड़क होकर कह दिया करता हूँ। कहीं इसका फल न भुगतना पड़े, कई शत्रु हैं।" कभी सोचते—"वह परदेशी पता नहीं कौन था? हो सकता है, कोई गुप्तचर ही हो, और यह आग उसीकी लगाई हो। तब तो उसने सब कुछ कह दिया होगा। कैसी मूर्खता की, जो एक अपरिचितसे घुल-मिलकर बातें करता रहा; अब पछता रहा हूँ।"

———

१.

दैनिक व्यवहारके शब्द

विद्यार्थियोंके शब्द-संग्रहमें वृद्धिकी दृष्टिसे तथा उनका वाक्य या वाक्योंमें प्रयोग करनेकी आदत डालनेकी दृष्टिसे यहाँ कुछ सरल एवं प्रतिदिनके उपयोगी शब्दोंकी सूची दी जा रही हैं :—

अदालत	आरोप	कायदा
अधिकार	आरोपी	कारागार
अधिकारी	इन्साफ	कारावास
अन्याय	करार	केस
अपराध	करारनामा	कैद
अपराधी	कर्ज	कैदखाना
आज्ञा	कागजात	कैदी
आदेश	कानून	खानातलाशी
खून	नियम	शर्त
खोज-बीन	निरपराध	सन्देश
गवाह	न्याय	समझौता
गवाही	पंच	सुलभ
गिरफ्तार	पुकार	सूचना
गुनाह	प्रतिज्ञा	सौगन्ध
चोरी	फैसला	हाजिर
जंजीर	बन्दी	हिदायत
जबानी	बदला	बहस
जायदाद	मंजूर	जाहिर
मुकदमा	जेलखाना	वकील
दण्ड	वकालत	दावा
वादा	सौदा	न्योता

१०.

पशु-पक्षियोंकी बोली

पशु-पक्षियोंकी बोलियोंके लिए कुछ खास-खास शब्द प्रयोगमें आते हैं। जैसे—

हाथी के लिए	— चिंग्घाड़ना
बाघ ,,	— गुर्राना या गरजना
कुत्ता ,,	— भूंकना
भौंरा ,,	— गुंजार करना
सूअर ,,	— किकियाना
मुर्गा ,,	— बाँग देना
कबूतर ,,	— गुटरगुं-गुटरगुं करना
कौआ ,,	— काँव-काँव करना
घोड़ा ,,	— हिनहिनाना
गधा ,,	— रेंकना
चिड़िया ,,	— चहचहाना
मेंढक ,,	— टर-टराना
बकरी ,,	— मिमियाना
सियार ,,	— हुआ-हुआ करना
मोर ,,	— कूकना
मक्खियाँ ,,	— भनभनाना
कोयल ,,	— कुहू-कुहू करना

राष्ट्र-गीत

***

वन्दे मातरम् ।।
सुजलां सुफलां मलयज-शीतलां,
शस्य-श्यामलां मातरम् ।
वन्दे मातरम् ।।

शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकित यामिनी
फुल्ल-कुसुमित-द्रुम-दल शोभिनीम् ।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणीं,
सुखदां वरदां मातरम् ।
वन्दे मातरम् ।।

***